Postal Registration No. CHD/0107/2021-2023 Posted at MBU Chandigarh RNI No. CHABIL/2000/3469

हिन्दी/अंग्रेजी मासिक पत्रिका

दीन बन्धु सर छोटूराम

जाट लहर

सत्यमेव जयते

जाट सभा, चण्डीगढ़ के सौजन्य से प्रकाशित

वर्ष 22 अंक 10 30 अक्तूबर, 2022 मूल्य 5 रुपये

प्रधान की कलम से

पुलिस सुधार वक्त की जरूरत

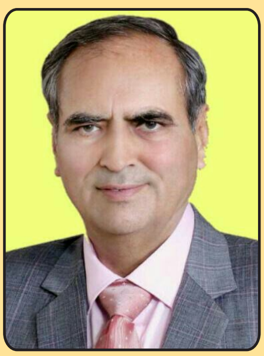

डा. महेन्द्र सिंह मलिक

भारतीय पुलिस व्यवस्था का इतिहास बेहद प्राचीन है ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने शासन की सहूलियत के हिसाब से इसका गठन किया गया था। डेढ़ सौ वर्षों के बाद आधुनिक भारत में पुलिस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकताओं को मध्यनजर रखते हुए इसमें सुधार के लिए समय समय पर मांग की गई है। दुख इस बात का है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे देश की पुलिस न तो अपनी छवि को सुधार पाई है और न ही वह स्वयं को पुलिस की प्रेत–छाया से मुक्त ही कर पाई है। पुलिस तंत्र सरकार व प्रशासन के मध्य स्वच्छ व पारदर्शी व्यवस्था तथा निष्पक्ष न्याय की मुख्य कड़ी होती है।

आज भी न तो हम 'मित्र पुलिस की अवधारणा को सही अर्थों में साकार कर पाए हैं और न ही भारतीय पुलिस का वह क्रूर एवं अमानवीय चेहरा ही बदल पाए हैं, जिसके लिए वह आलोचना की शिकार होती आ रही है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि आज की पुलिस जनता की कम, सत्ता की ज्यादा है। फलतः पुलिस कार्यवाहियें में निष्पक्षता एवं तटस्थता हाशिए पर चली जाती है। इन्हीं सब वजहों से जहां भारतीय पुलिस में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है, वहीं पुलिस को स्वायत्तता प्रदान किए जाने की मांग भी की जा रही है। यह हास्यास्पद ही है कि भारत की पुलिस व्यवस्था के प्रावधान आज भी वही है जो अंग्रेजों ने अपने लिए बनाए हैं।ब्रिटिश हुकुमत ने अपने शासन में एक सहयोगी संस्था के रूप में पुलिस इकाई का गठन किया जिसे बांस का मोटा डंडा हाथ में थमाया गया ताकि जो लोग शासन के विरुद्ध कोई कार्य करे उस पर लाठियां भांजी जाए।

भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के तहत ही आज भी भारत की पुलिस कार्य कर रही हैं। भारत के लोकतंत्र तथा देश के नागरिकों के लिए यह शर्म का विषय है क्योंकि हमारी पुलिस जैसी व्यवस्थाएं आज भी अंग्रेजों के बनाए कानूनों के अनुसार चलती हैं। सबसे बड़ा दोष यह है कि आजादी के बाद हमने वर्ष 1861 (पुलिस अधिनियम, 1861) में बनी अंग्रेजों के जमाने की पुलिस पर हिन्दुस्तानी मुलम्मा तो चढ़ा दिया, किंतु न तो सुधार की कोशिशें कीं और न ही ढांचागत बदलाव लाने की दिशा में ही कोई पहल की गई। पुलिस की कार्यप्रणाली तथा अमानवीय ढंग से पूछताछ के तरीके के चलते लोग किसी झगड़े को मिटाने की बजाय उससे दूरी बनाकर निकल जाते हैं।

हमारा देश आजाद हुए सात दशक से अधिक का समय हो चूका है मगर हमारी पुलिस व्यवस्था जैसी की जैसी है। पुलिस की खौफनाक कार्यशैली आज भी यथारूप बनी हुई हैं। देश के कई राज्यों में पुलिस सुधार के नाम पर नये अधिनियम पारित किये गये मगर पहले के नियमों और अब के नियमों में कोई बड़ा फर्क नहीं हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में 1951 का बम्बई पुलिस अधिनियम, कर्नाटक में 1963 का तथा दिल्ली में 1978 का पुलिस अधिनियम कार्यरत हैं मगर इनकें नतीजे में भी कुछ हासिल नहीं हो पाया हैं। दूसरे राज्यों की तरह यहाँ की पुलिस भी आमजन का विश्वास जीतने में विफल रही है तथा फर्जी एनकाउंटर जैसे कृत्य यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। देश में मोरारजी देसाई सरकार के दौरान वर्ष 1979 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन कर पुलिस सुधार की ओर कदम बढ़ाया गया। 1981 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, 1998 में रिबैरो कमेटी ने भी अपनी सिफारिशे सरकार को दी।

पुलिस सुधार की दिशा में पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह का योगदान उल्लेखनीय हैं। उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा न लागू करने पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। यूपी और असम जैसे विषम परिस्थितियों में सेवा दे चुके प्रकाश सिंह पुलिस की बाधाओं से भली भांति परिचित थे। वर्ष 2006 के आते आते सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह के मुकदमे पर फैसला सुनाया जिसके तहत सरकारों को पुलिस आयोग की संस्तुतियां लागू करने, पुलिस को राजनीति व दवाब से अलग रखने तथा पुलिस को स्वायत्ता देने की बात की गई। केरल को छोड़कर भारत के लगभग सभी राज्यों की पुलिस में इन सुधारों को क्रियान्वित किया गया लेकिन चीजें बहुत ज्यादा आज तक नहीं बदली हैं।

भारतीय पुलिस का दूसरा सबसे बड़ा दोष यह है कि वह जबरदस्त राजनीतिक दबाव में काम करती है। राजनीति के अपराधीकरण से स्थिति और बिगड़ी है। आज हमारे पास जो पुलिस है, वह राजनीतिक रूप से स्वीकृत है। इस तरह यह अपने मालिकों के लिए चोर की तरह हो गई है। बदले में पुलिसकर्मियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, जो उनके अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है।" स्पष्ट है कि राजनीतिक दबाव एवं राजनीतिक

शेष पेज–2 पर

शेष पेज–1

संरक्षण यानी 'नेता–पुलिस गठजोड़' से भारतीय पुलिस में विसंगतियां पैदा हुई हैं।

हमारी पुलिस का एक बड़ा दोष यह है कि वह आधुनिक भी नहीं है। आज भी वह आधुनिकीकरण के उस पायदान तक नहीं पहुंच पाई है, जहां अन्य विकसित देशों की पुलिस पहुंच चुकी है। पर्याप्त संसाधनों एवं आधुनिक अस्त्र–शस्त्रों के अभाव से तो भारतीय पुलिस जूझ ही रही है, कार्य शैली से जुड़ी विभागीय स्थितियां भी संतोषजनक नहीं हैं। यानी भारतीय पुलिस अच्छी सुविधाओं से वंचित है। पुलिसकर्मियों को न तो अच्छी आवासीय सुविधाएं ही दी जाती हैं और न ही उनकी ड्यूटी का कोई निर्धारित समय ही है। पर्याप्त पुलिस बल का भी अभाव है, जिसकी वजह से छुट्टियां आदि मिलने में भी कठिनाई होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रति एक लाख की जनसंख्या पर लगभग 225 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति होनी चाहिये जबकि भारत में यह आंकड़ा लगभग 190 है। देश के किसी भी राज्य में पुलिस कर्मियों की संख्या स्वीकृत संख्या के अनुसार पूरी नहीं है। राष्ट्र में कुल 2623225 स्वीकृत पुलिस संख्या में 531737 पद रिक्त पड़े हैं। हरियाणा जैसे छोटे प्रात में ही 71069 स्वीकृत पदों में 20839 पद खाली पड़े हैं। राष्ट्र की महत्वपूर्ण जांच एजेंन्सी केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) की कारगुजारी भी अक्सर विवादों में रहती है। राष्ट्र की अन्य महत्वपूर्ण जांच एजेंन्सीयों की तुलना में लगभग 67 प्रतिशत केसो की जांच सी.बी.आई. द्वारा की जा रही है लेकिन अधिकांस संवेदनशील मामलों में सी.बी.आई. की जांच कार्यवाही राजनैतिक व अफसर शाही से प्रभावित पाई गई है। वोफोर्स तोप खरीद केस को बन्द किया जाना इसका मुख्य उदाहरण है। अतः सी.बी.आई. व प्रवर्तन निदेशक (ई.डी.) जैसी संस्थाओं की स्वतंत्रता भी खतरे में हैं। इन सब के अलावा अफसरों की गुटबाजी, जातिवाद, क्षेत्रवाद, बड़े अफसरों की कार्यशैली में पारदर्शिता का अभाव एवं कर्त्तव्यनिष्ठा व ईमानदारी का अभाव आदि कारणों से भी भारतीय पुलिस पिछड़ी हुई है और वह 'प्रोफेशनल पुलिस' का मुकाम हासिल नहीं कर पाई है।

वर्ष 2020 के पहले आठ मास में पुणे में सब इंस्पैक्टर व इस्पैक्टर स्तर के 22 पुलिस कर्मियों को विभागीय कार्यवाही में विभिन्न अपराधों के अंर्तगत बर्खास्त किया गया। हाल ही में जम्मु कश्मीर प्रशासन द्वारा ड्यूटी से लम्बे समय तक गैर हाजिर रहने, भ्रष्टाचार व गैर राष्ट्रीय अपराधों के तहत 36 पुलिस कर्मियों को जबरी रिटायर किया गया। वर्ष 2012 की राष्ट्रीय क्राईम ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक मध्यप्रदेश, केरल, छतीसगढ़, जे एडं के, तेलगांना, दिल्ली, अण्डेमान निकोबार, पंजाब व तमिलनाडु राज्यों से 225 आरोपी पुलिस कर्मियों में से केवल 15 को अपराधिक सजा हुई जबकि बाकी सभी राजनैतिक जोड–तोड से बरी हो गये रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष राष्ट्र में 6000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध विभिन्न केस दर्ज किये गये। प्रंजातत्रात्मक समाज में अराजकता को रोकने व अमन–चैन कायम रखने हेतु समाज विरोधी तत्वों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस तंत्र को विस्तृत अधिकार दिये गये है लेकिन इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि इन अधिकारों का उपयोग नागरिकों के अधिकारों का हनन करने के लिए न किया जायें। अपराधी को सजा दिया जाना आवश्यक है लेकिन इसमें भी अधिक पुलिस द्वारा एक मजबूत प्रंजातत्रात्मक समाज के मूल्यों का विस्तार करना है।

पुलिस सुधार के उद्देश्य से गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 1999 में 'पद्मनाभैया समिति का गठन किया गया था। इस समिति को पुलिस के समक्ष उपस्थित चुनौतियों के आकलन एवं 'मित्र पुलिस की संकल्पना प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया था। समिति द्वारा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए गए, जो कि अमल में नहीं लाए गए। वर्ष 2005 में कार्य दायित्वों में पुलिस की बदलती भूमिका एवं जिम्मेदारियों के आलोक में नया कानून तैयार करने के उद्देश्य से 'पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसने वर्ष 2006 में केंद्र सरकार के समक्ष एक मडल पुलिस कानून बनाकर पेश किया। यह भी अमल से दूर रहा। इतना ही नहीं, पुलिस सुधार के लिए देश की शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों का अनुपालन भी राज्य स्तर पर नहीं हुआ, न ही इनके अनुपालन के लिए राज्यों पर कोई दबाव ही बनाया गया। भारत में चूंकि पुलिस राज्य सरकारों का विषय है, अतएव राज्य सरकारें पुलिस जैसे शक्तिशाली तंत्र पर अपना नियंत्रण खोना नहीं चाहती हैं। यही कारण है कि कोर्ट के निर्देशों तथा आयोगों और समितियों की महत्त्वपूर्ण संस्तुतियों के बावजूद न तो पुलिस सुधारों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है और न ही पुलिस

को स्वायत्तता ही प्रदान की जा रही है। गत मास पुलिस व्यवस्था की प्रणाली में सुधार के संबंध में वरिष्ठ रिटायर्ड तथा कार्यरत पुलिस अधिकारी द्वारा इण्डियन पुलिस फाउंडेशन की मीटिंग में पुलिस की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने हेतु भारतीय पुलिस सिस्टम में उच्च स्तर पर सुधार लाने पर विचार किया गया। मीटिंग में इण्डियन पुलिस फाउंडेशन के चेयरमैन एवं मनीपुर के पूर्व राज्यपाल श्री गुरबचन सिंह जगत ने स्पष्ट किया कि बेसिक पुलिस व्यवस्था में तभी सुधार हो सकता है यदि पुलिस बल को सत्ताहीन सरकार के प्रभाव से मुक्त कर कानून के शासन द्वारा प्रदत शक्ति के प्रयोग के अधिकार दिये जायें।

भारत में पुलिस की स्थिति को लेकर 'स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019' जारी की गई। यह रिपोर्ट एनजीओ 'कॉमन कॉज़' और 'सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ़ डेवलपिंग सोसाइटीज' द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में पुलिस की गिरती साख पर आम धारणा कैसी है, इस पर रिसर्च किया गया था। रिपोर्ट में पुलिसकर्मियों की संख्या और उनके काम करने की परिस्थितियों को लेकर सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में 22 राज्यों के 12,000 पुलिसकर्मी और उनके परिवार के सदस्य शामिल थे।

राज्यों के स्तर पर ये पाया गया कि 70 पुलिस स्टेशनों में तो वायरलेस डिवाइस ही नहीं थे। देश के 214 पुलिस स्टेशनों में टेलीफोन कनेक्शन नहीं है और 24 पुलिस स्टेशन मिले जिनमें ना तो वायरलेस है ना ही टेलीफोन कनेक्शन है। औसतन एक पुलिस स्टेशन में सिर्फ 6 कंप्यूटर हैं। बिहार और आसाम जैसे कुछ राज्यों में तो 1 से भी कम कंप्यूटर हैं। करीब 240 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं, जहां पर गाड़ियां भी नहीं हैं और हर पांच में से एक महिला पुलिसकर्मी का कहना है कि उनके पुलिस स्टेशन में अलग शौचालय भी नहीं है। एक पुलिसकर्मी औसतन 14–15 घंटे काम करता है।

सर्वेक्षण में शामिल करीब 25 फ़ीसदी महिला पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि कार्य–स्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कोई 'आंतरिक समिति' नहीं है। करीब 50 फ़ीसदी पुलिसकर्मियों का पूर्वाग्रह है कि मुसलमान 'स्वाभाविक रूप से' अपराधी होते हैं। इसके अलावा सर्वेक्षण में शामिल 35 फ़ीसदी पुलिस कर्मियों का मानना है कि भीड़ द्वारा गोहत्या के मामलों में अपराधी को दंडित करना एक स्वाभाविक बात है। साथ ही 43 फ़ीसदी पुलिस कर्मियों को लगता है कि बलात्कार के आरोपी को भीड़ द्वारा सजा देना एक सामान्य सी घटना है।

देश में विभिन्न राज्यों के पुलिस विभागों में संख्या बल की भारी कमी है और औसतन 732 व्यक्तियों पर एक पुलिस कर्मी की व्यवस्था है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने हर 450 व्यक्तियों पर एक पुलिसकर्मी की सिफारिश की है। वर्तमान में कार्य निर्वहन के दौरान पुलिस के सामने अनेक समस्याएँ आती हैं। पुलिस बल के काम करने की परिस्थितियाँ, पुलिसकर्मियों की मानसिक स्थिति, पुलिसकर्मियों पर काम का अतिरिक्त दबाव, पुलिस की नौकरी से जुड़े अन्य मानवीय पक्ष और पुलिस पर पड़ने वाला राजनीतिक दबाव ऐसी समस्याएं हैं जिनके निवारण के बिना पुलिस सुधारों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पुलिस के महत्त्व को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने 'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की वृहद् अम्ब्रेला योजना' को 2017–18 से 2019–20 के लिये स्वीकृत किया था। इस योजना के लिये तीन वर्ष की अवधि हेतु 25,060 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 18636 करोड़ रुपए केंद्र सरकार तथा 6424 करोड़ रुपए राज्यों द्वारा दिये गए लेकिन इसका असर जमीनी स्तर पर कैसा होगा यह देखने में अभी समय लगेगा। राज्य पुलिस बलों में 86 प्रतिशत कॉन्स्टेबल हैं। अपने सेवा काल में कॉन्स्टेबलों की आम तौर पर एक बार पदोन्नति होती है और सामान्यतः वे हेड कॉन्स्टेबल के पद पर ही रिटायर होते हैं। इससे वे अच्छा प्रदर्शन करने को प्रोत्साहित नहीं हो पाते।

इण्डिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार राष्ट्र भर में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या पुरूषों के मुकाबले बहुत कम है। आंकड़ों के अनुसार हर 10 पुलिस कर्मचारियों में मात्र एक महिला पुलिसकर्मी है और 100 अधिकारियों में मात्र सात महिला अधिकारी है। थानों में महिला शौचालयों जैसी मूलभूत सुविधाओं तक की कमी है। राष्ट्र में लगातार बढ़ रहे महिला विरूध अपराधों के दौर में देश भर में महिला पुलिसबल की उपस्थिति महज 7.28 प्रतिशत है और नक्सलवाद प्रभावित तेलगांना में केवल 2.47 प्रतिशत है। लगातार बढ़ रहे महिला विरूध अपराधों की रोकथाम व महिला सुरक्षा हेतु उचित माहौल के लिये महिला पुलिस बल की संख्या 50 प्रतिशत सुनिश्चित की जानी चाहिए क्योंकि विधान सभाओं व पंचायती राज संस्थाओं में भी कई राज्यों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 33 प्रतिशत की जा रही है। इस प्रकार राजनैतिक व्यवस्था व पुलिस बल में प्रर्याप्त महिला शक्ति से ही महिला विरूध अपराधों पर नियंत्रण किया जा सकता है।

राज्य बलों में डीजीपी और दूसरे मुख्य पुलिस अधिकारियों (जैसे पुलिस स्टेशन और जिले के ऑफिसर–इन–चार्ज), और केंद्रीय बलों के चीफ के लिए कम से कम दो वर्षों की न्यूनतम कार्य अवधि निर्धारित की है ताकि उन्हें मनमाने स्थानांतरणों और तैनातियों से बचाया जा सके। लेकिन राजनेताओं द्वारा अपने निहित हितों के लिये पुलिस प्रमुखों की अवधि को 2 साल से आगे बढ़ाने की कवायद की जा रही है। पुलिस प्रमुखों के चयन भी निष्पक्षता से नही हो पाते है। यूपीएससी को पुलिस प्रमुख के चयन के लिये पैनल में जो नाम भेजे जाते हैं उनमें भी वरिष्ठता व योग्यता को

नजरअंदाज किया जाता है। पुलिस कम्पलेंट अथॉरटी का गठन भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं किया जाता है। राज्य के डीजीपी की नियुक्ति योग्यता आधारित पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए किया जाए और उस का न्यूनतम कार्यकाल 2 साल का हो। डीजीपी के अलावा अन्य पुलिस अधिकारियों का भी न्यूनतम 2 साल का कार्यकाल निर्धारित किया जाए ताकि वे अपनी ड्यूटी बिना किसी दबाव के निभा सकें। डीएसपी और उससे नीचे के पदों के पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, पदोन्नति और सेवा संबंधी अन्य मामलों पर निर्णय लेने के लिए एक पुलिस स्थापना बोर्ड (पीईबी) का गठन किया जाए। साथ ही यह बोर्ड डीएसपी के पद से ऊपर की पोस्टिंग और ट्रांसफर पर सिफारिशें देने का भी काम करेगा।

पुलिस की पारदर्शी एवं दबाव–मुक्त कार्यशैली के लिए स्वायत्तता को आवश्यक माना गया है तथा पुलिस सुधार के लिए गठित आयोग एवं समितियां इसकी सिफारिश भी कर चुकी हैं। वस्तुतः ऑटोनॉमी (स्वायत्तता) शब्द यूनानी शब्द 'ऑटोनोमिया' से निकला है, जिसका अर्थ है–स्वशासन का अधिकार या शक्ति।' 'स्वशासन' के अधिकार से ही 'सुशासन' की अवधारणा निकलती है। स्वायत्तता में दबाव आड़े नहीं आते तथा इससे अधिक जवाबदेह कार्यशैली विकसित होती है। भारतीय पुलिस को राजनीतिक दबावों से उबारने तथा 'पुलिस–नेता गठजोड़' को निष्प्रभावी बनाने के लिए स्वायत्त पुलिस की आवश्यकता से इंकार नहीं किया जा सकता है।

स्वायत्तता के साथ–साथ पुलिस सुधार की दृष्टि से हमें कुछ और भी उपाय करने होंगे। सबसे पहली आवश्यकता तो यह है कि हम यथाशीघ्र भारतीय पुलिस को औपनिवेशिक पुलिस की प्रेत–छाया से मुक्त कराएं और बदली हुई परिस्थितियों में इसका लोकतांत्रिक चेहरा गढ़ने के उपाय सुनिश्चित करें। यानी हमें नए चाल–चरित्र की स्वतंत्र भारत की जनतांत्रिक पुलिस की बुनियाद रखनी होगी और इसके लिए 1861 के पुलिस अधिनियम को बदलना होगा और ऐसा करते हुए पुलिस स्वायत्तता को सर्वोच्च वरीयता देनी होगी। यह भी आवश्यक है कि पुलिसकर्मियों के स्थानान्तरण, पदोन्नति एवं नियुक्तियों आदि में पारदर्शिता लाने के लिए 'स्वायत्त पुलिस स्थापना परिषद' का गठन किया जाए। राजनीतिज्ञ पुलिस सुधारों के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा–शक्ति का परिचय दें तथा पुलिस तंत्र को स्वतंत्र, स्वच्छ और निष्पक्ष बनाने की दिशा में तत्परता दिखाएं। पुलिस को लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवता का पाठ पढ़ाया जाए तथा अफसरों की विभागीय गुटबाजी, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी, क्षेत्रवाद, जातिवाद तथा अनुशासनहीनता को दूर किया जाए।

जहां पुलिस कर्मियों में कर्त्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी जैसे गुणों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है, वहीं पुलिस को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र भी विकसित किए जाने की आवश्यकता है। पुलिस को स्वायत्तता प्रदान किए जाने की स्थिति में इस तरह का निगरानी तंत्र और भी आवश्यक है, ताकि स्वायत्तता को निरंकुशता में बदलने से रोका जा सके। पुलिस को अधिक कार्यकुशल, सक्षम, दक्ष एवं सक्रिय बनाने के लिए जहां पुलिसकर्मियों की विभागीय समस्याओं एवं व्यावहारिक परेशानियों के निवारण की दिशा में सुनिश्चित पहल होनी चाहिए, वहीं पुलिस के आधुनिकरण की दिशा में उचित प्रयास होने चाहिए, ताकि वह अपराधियों और आतंकवादियों की ओर से मिल रही नित नई चुनौतियों का मुकाबला भली–भांति कर सके।

देश की आंतरिक सुरक्षा की मजबूती, भयमुक्त–अपराधमुक्त समाज की स्थापना, शांति, सुरक्षा एवं संरक्षा तथा विकास के लिए पुलिस की भूमिका को अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इस महत्त्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन हेतु जिस 'प्रोफेशनल पुलिस' की आवश्यकता है, वह हमारे देश में नहीं है। देश की पुलिस को 'प्रोफेशनल पुलिस बनाने के लिए जहां पुलिस व्यवस्था में ढांचागत सुधारों एवं बदलावों की आवश्यकता है, वहीं उसे राजनीतिक दबावों एवं हस्तक्षेप से मुक्त कराया जाना भी उतना ही जरूरी है।

इस चुनौती से निपटने का एक तरीका कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल है। कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए पुलिस को अपराध को रोकने और उसका पता लगाने, व्यवस्था बहाल करने और स्थानीय संघर्षों को हल करने के लिए समुदाय के साथ काम करने की जरूरत होती है ताकि लोगों को बेहतर जीवन प्राप्त हो और उनमें सुरक्षा की भावना पैदा हो। इसमें सामान्य स्थितियों में आम लोगों के साथ संवाद कायम करने के लिए पुलिस द्वारा गश्त लगाना, आपराधिक मामलों के अतिरिक्त दूसरे मामलों में पुलिस सेवा के अनुरोध पर कार्रवाई करना, समुदाय में अपराधों को रोकने का प्रयास करना और समुदाय से जमीनी स्तर पर प्रतिक्रियाएं हासिल करने के लिए व्यवस्था कायम करना शामिल है। केरल, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, आदि विभिन्न राज्य कम्युनिटी पुलिसिंग के क्षेत्र में प्रयोग कर रहे है। इसके बाजवूद पुलिस सुधारों की गति बहुत धीमी है और जरूरत है इसको तेज करने की ताकि पुलिस और जनता दोनों एक दूसरे के काम से ही संतुष्ट ना हों बल्कि पुलिस को देखकर जनता के बीच एक सुरक्षा की भावना भी पनपे।

पुलिस प्रशासन में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पूर्णरूप से बदलाव की आवश्यकता है। अतः भर्ती प्रक्रिया में आरम्भ से लेकर सेवानिवृत तक व्यापक सुधार किये जाने

जरूरी है क्योंकि पुलिस भर्ती से लेकर पदोन्नति, तबादलो, प्रशासनिक व अपराधिक मामलो में 70 प्रतिशत से अधिक राजनैतिक दखल अंदाजी होती रही है, भर्ती वैज्ञानिक मापदण्ड से नहीं की जाती। तबादलो व पदोन्नति का लालच देकर राजनैतिक दबाब में गैर कानूनी कार्य करवाये जाते है। उच्च स्तर पर आसीन अधिकारियों को सेवा निवृति से पहले सेवा काल में वृद्धि करने अथवा सेवानिवृति के बाद अन्य संवैधानिक पद पर तैनात करने का प्रलोभन देकर मनमाफिक अनुचित कार्य करने का दबाब बनाया जाता है। इस प्रकार की सभी अनुचित कारगुजारी को पुलिस सुधार हेतु बंद किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके इलावा उच्च न्यायालयों व उच्चतम न्यायालय से भी निवेदन है कि पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर उनकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये सरकार को बाध्य किया जाये।

इसके साथ ही संवेदनशील मामलो में जांच की गोपनीयता अत्यन्त जरूरी है। केबल टेलिविजन नैटवर्क अधिनियम 1995 में स्पष्ट है कि किसी प्रकरण में शिकायतकर्ता, एफ.आई.आर. की जानकारी, साक्षी व आरोपी का साक्षात्कार आदि मीडिया द्वारा सार्वजनिक/प्रसारित करने से अनुसंधान/ट्रायल की गोपनीयता को प्रभावित करता है लेकिन आपसी गठजोड़ के कारण हाई प्रोफाईल मामलों को जांच पूर्व ही मीडिया में उछाल दिया जाता है जिस कारण पीड़ित को न्याय मिलना कठिन हो जाता है।

डॉ० महेन्द्र सिंह मलिक, आई.पी.एस. (सेवा निवृत)
पूर्व पुलिस महा निदेशक हरियाणा,
प्रधान अखिल भारतीय शहीद सम्मान संघर्ष समिति व
जाट सभा, चंडीगढ़ व पंचकूला एवं
चेयरमैन, चौ० छोटूराम सेवा सदन, कटरा, जम्मू

जाट क्षत्रिय हैं

– जयपाल सिंह पूनियां, एम.ए.इतिहास
एच.एफ.एस (सेवानिवृत)

जाट क्षत्रिय हैं और उनके क्षत्रिय होने के अनेकों प्रमाण एतिहासिक पुस्तकों में भी पाये जाते हैं। किसी जाति अथवा मनुष्य की बहादुरी के आधार पर ही उसको क्षत्रिय कहा जा सकता है। आदिकाल से वर्तमान काल तक जाटों की वीरता के विषय में अनेक देशी व विदेशी इतिहासकारों ने अनेक ग्रन्थ व पुस्तकें लिखी है और जाटों की वीरता की भूरी–भूरी प्रशंसा की है। किसी भी एतिहासिक पुस्तक को उठा के देख लों उसमें यही लिखा मिलेगा कि जाट एक बहादुर व लड़ाका जाति है। जाटों ने आदिकाल से ही अनेकों युद्ध लड़े और युद्धों में हार–जीत तो होती रहती है। किसी भी पुस्तक व ग्रन्थ में कहीं यह लेख नहीं मिलेगा कि फलाँ युद्ध में जाट पीठ दिखा कर भागे हो या उन्होंने कहीं शत्रु से डर कर हथियार डाले हों। वर्णन कट का मर जाने में ही जाटों ने हमेशा अपनी शान समझी है। जाटों की वीरता के अनेकों प्रमाण मिलते हैं। सभी प्रमाण तो लिखना मेरे बलबुते की बात नहीं हैं। परन्तु, फिर भी जाटों के क्षत्रिय होने के कुछ प्रमाण में आपको ध्यान में लाना चाहुंगा जो कि समय समय पर अनेक इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में इन्द्राज किए हैः–

1. जाटों के क्षत्रिय होने के कुछ प्रमाण निम्न प्रकार से है :– युनानी इतिहासकार हैरोडोटस ने अपनी पुस्तक में इन्द्राज किए हैं कि जब–जब जाटों में एकता हुई तब तब संसार की कोई भी जाति इनके सामने नहीं टिक सकी। महान युनानी इतिहासकार थ्यूसिडियस ने लिखा था कि एशिया तथा यूरोप में किसी भी राष्ट्र में ऐसी कोई भी जाति नहीं थी जो सिथियन जाटों के मुकाबले में खड़ी रह सके।

2. महान सम्राट सिकन्दर ने अपना विजयी अभियान पहले एशिया में ही कूच किया और 328–327 ईसा–पूर्व में सोग्डियाना पर आक्रमण कर दिया। यह सिंथिया देश का एक प्रान्त था जिस पर सिंथियन जाटों का ही साम्राज्य था। इस युद्ध में सिकन्दर को जाटों ने करारी हार दी थी। इसमें सिकन्दर की सेना की एक डिविजन नफरी सिथियन जाटों ने मौत के घाट उतार दी थी। जिसके कारण सिकन्दर भी बीमार पड़ गया था। लगभग 6 मास तक उसकी सेना ने लड़ने से मना भी कर दिया था और सिकन्दर ने वहां से 30000 सिंथियन जाटों को अपनी सेना में भर्ती भी किया था। सिकन्दर स्वयं भी कहता था कि मेरी रंगों में भी जाट खून दौड़ रहा है क्योंकि सिकन्दर की माता औलाईम्पीयस देश के जाट राजा की पुत्री थी जो कि वहां की जाट रानीयों की ही औलाद थी।

3. दसवीं शताब्दी में स्पेन के अन्तिम जाट सम्राट के पौत्र अलवारो ने अपने आपको ऊंचे सत्तर की पुरानी (जाट) गेटी अर्थात जाट जाति का वंशज कहा है। अलवारो कहता था कि मैं उस जाट जाति से संबंधित हूं जिनके बारे में सम्राट सिकन्दर ने कहा था कि जाटों से बचो क्योंकि सिंथियन जाटों ने सिकन्दर को करारी हार दी थी। जूलियस सीजर जाटों से कांप गया था क्योंकि सम्राट विक्रमादित्य ने उसको रोम में जाकर बन्दी बनाया और भारत लाकर उज्जैन की सड़कों पर नंगे पांव घुमाया था। सम्राट सायरस जाटों से डरा था। सम्राट सायरस

महारानी तोमरिस दहिया के हाथों मारा गया था और स्पेन के सम्राट जेरोम ने जाटों के बारे में कहा था कि उनके आगे सींग होते हैं इसलिए उनसे दूर रहो। एक प्राचीन और प्रसिद्ध इतिहासकार पोम्पोनियस ने सिंथियन जाटों के बारे में लिखा था कि वे युद्ध तथा शत्रु की हत्या से प्यार करते हैं।

4. कर्नल जेम्स टॉड लिखते हैं कि आज के जाटों को देखकर विश्वास नहीं होता कि ये जाट उन्हीं प्रचण्ड वीरों की संतान है जिन्होंने कभी एशिया और यूरोप को हिला कर रख दिया था।

5. शिवदास गुप्ता का कथन है कि "जाटो ने तिब्बत, युनान, अरब, ईरान, तुर्कीस्तान, जर्मनी, साईबेरिया, स्कैन्डनविया, इंग्लैड, रोम व मिश्र आदि में दृढ़ता और साहस के साथ शासन किया था और वहां की भूमि की बंजरता को खत्म करके उसको काफी उपजाऊ बना दिया था।

6. 23.11.1967 को बरेली में जाट रेजिमैंट को ध्वज प्रदान करते हुए, भारतवर्ष के राष्ट्रपति डॉ० जाकिर हुसेन ने कहा था कि 'जाटों का इतिहास भारत का इतिहास है और इसी तरह जाट रेजिमैन्ट का इतिहास भारतीय सेना का इतिहास है।

7. श्री सी.वी. वैद्य ने लिखा है कि जाटों ने अपनी लड़ाकू प्रवृति को अब तक कायम रखा है।

8. झूंझनू जाट महासभा के अधिवेशन में सन् 1931 ई. में एक अंग्रेज योद्धा एफ.एस. यांग जो कि आई.जी. पुलिस थे ने अपने सम्बोधन में कहा था कि जाट सच्चे क्षत्रिय है हमने जर्मन युद्ध में उनको बाखूबी परखा है जाट युद्ध के मैदान में मरना और मारना जानते हैं। अंग्रेजी सरकार की तरफ से जाटों की पल्टन को रायल जाट पल्टन की उपाधि दी गई थी। उन्होंने कहा कि जाट बहादूरी के साथ ही सच्चे ईमानदार और बात के पक्के होते हैं। जाट कभी दगा नहीं देते क्योंकि मैंने स्वयं कुछ जाटो को परखा है वे खरे यानि पूरे उतरे हैं।

9. तैमूरलंग ने कहा था कि जाट एक अत्यन्त मजबूत जाति है देखने में दैत्य, संख्या में टिड्डियों की तरह बहुत संख्या वाले और शत्रुओं के लिए सच्ची महामारी हैं हरिद्वार की लड़ाई में 7 फुट लम्बे विशालकाय दादा हरबीर सिंह गुलिया जोकि पंचायती सेना के उपसेनापति थे ने तैमूरलंग की छाति में भाले से ऐसा वार किया था कि तैमूरलंग उस घाव से उभर नहीं पाया और अन्त में उसने समरकन्द जाकर मृत्यु को गले लगा लिया था।

10. प्रसिद्ध नेता भाई परमानन्द जी ने जाटों के बारे में लिखा है कि पंजाब में खालसा पंथ की नींव रखना और राज्य स्थापित करना तमाम पठान जातियों को अपने अधीन करना, अफगान पठानों को कई बार हराना ये जाट ही ऐसा कर सकते थे किसी अन्य के बस का काम नहीं था।

11. जाट भारतीय राष्ट्र की रीढ़ है, भारत को इस साहसी व पराक्रमी जाति से आज भी बहुत आशाएं हैं। भारतीय सेना में आज भी सभी जाटों को मिलाकर देखें तो अधिकारी व कर्मचारी 40 प्रतिशत जाट है।

12. "मोहम्द गजनी जिहाद पुस्तक" में हसन निजामी को विवश होकर लिखना पड़ा था कि राजा विजयराव जाटों की फौज महमूद की फौज के साथ ऐसी वीरता से लड़े कि इस्लामियों के छक्के छुड़ा दिये थे। इस युद्ध में महमूद ने अपनी हिम्मत छोडकर दरगाह में घूटने टैक दिए थे (डॉ० देशराज लेखक पृ. 213)

जाट जाति में अभी भी कई बाते ऐसी है कि जो प्राचीन चंद्रवंशी क्षत्रियों जैसे कौरव, पाण्डवों से मेल खाती है।

13. तमिल भाषा में "मणि मेखला" नामक ग्रन्थ में जाट जाति के अभियान और शौर्य का वर्णन किया हुआ है जिससे उनका क्षत्रिय और बहादुर होना सिद्ध होता है।

14. बौध ग्रन्थ अभियान में जाट जाति की विशेषता का वर्णन है।

15. जिन वंशों के जाट संघ में निशान हैं, वे भारत के वैदिक रामायण और महाभारत कालीन राजवंश है और उनके वर्णन से सारा आर्य साहित्य भरा पड़ा है। जाट मिट सकते हैं किन्तु अपने शत्रु के सामने झुक नहीं सकते।

16. एक हरियाणवी जाट की गर्दन टूट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती। हिन्दी सत्याग्रह आन्दोलन के समय आचार्य भगवान जी ने कहा था।

17. जाटों को मुगलों व पठानों ने परखा और अंग्रेजो ने उनके पैंतरे देखे। देहली, काबूल भरतपुर, पुष्कर, पानीपत और जर्मनी और फ्रांस में अपने खून की गर्मी दिखाई तथा कटार व कलम से लिखकर सिद्ध किया कि जाट क्षत्रिय है। गजनवी और तैमूर के दांत खट्टे किए मोहम्मद गोरी को मारा जिन्हें सी. वी. वैद्य जैसो ने वैश्य कहा है। काबूल के पठानों और सिकन्दर को कोई कौम खटकी तो ये जाट कौम ही खटकी थी क्योंकि जाटों ने उनके सभी मनसूबों पर पानी फेरा था।

18. हिस्ट्री ऑफ जाटस के लेखक कालिका रंजन कानूनगो ने जाटों के बारे स्पष्ट तौर पर लिखा है कि तलबार और हल चलाकर खेती करने में जाट बराबर के माहिर थे। इनके मुकाबले में मेहनत और साहस रखने वाली हिन्दुस्तान में कोई भी जाति नहीं थी। जाट बिना किसी भेदभाव के अपने भाई की विधवा से शादी कर लेते है। यह प्रथा जाटों में वैदिक काल से ही चली आ रही है। कानूनगो जो आगे लिखते हैं कि गजनवी, गौरी, नादिरशाह या अब्दाली के साथ किए गए संघर्ष से जाटों के चरित्र का पता चलता है।

19. नवाब समसामुदौला नवाजखां ने जाटों के कार्यों के आधार पर लिखा है कि ये पाषाण हृदय तथा लूटमार के माल को छीनने में मस्त रहने वाले हैं। वास्तविकता यह है कि इनकी

वीरता का खौप दुश्मन को इतना रहता है कि दुश्मन इनके बारे में एक कहावत कहते थे कि "जाट मरा तब जानियों, जब तेहरामी हो जाये"।

20. भारत का इतिहास जब से प्राप्त है उसी समय से यह पता चलता है कि विदेशी आक्रमणकारी चाहे सिकन्दर हो चाहे मुगल हो देश की रक्षा करने हेतु हमेशा जाटों ने ही तलवार उठाई।

21. जाटों में आज भी भोलापन तथा अल्हड़पन देखा जाता है जाटों को प्रेम से वश में करना जितना आसान है उतना ही आंखे दिखा कर वश मे करना कठिन है। सम्राट अकबर ने कहा था कि जाटों को प्रेम से ही वश में किया जा सकता है। जाट समाजिक तथा धार्मिक दृष्टि से अन्य हिन्दुओं की बजाय ज्यादा स्वतन्त्र है। लड़ना उनका पेशा है। अपनी आन–बान और शान की खातिर मर मिटना जाटों का गहना है।

22. जब महाराजा रणजीत सिंह 1805 ई० में भरतपुर के सम्राट थे तब अंग्रेजों ने लार्ड लेक के नेतृत्व में भरतपुर पर चढ़ाई कर दी और तीन तरफ से भरतपुर का किला घेर लिया था। रूक–रूक करके चार बार किले पर लेक द्वारा हमला किया गया 6 मास तक अंग्रेज किले का घेरा डाले रहे। जाटों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। लार्डलेक भारत में कहीं भी नहीं हारा था लेकिन जाटों को नहीं हरा सका क्योंकि जाटों की वीरता को देखकर अंग्रेजी सेना के पैर उखड़ गए थे और लार्डलेक ने विवश होकर किले का घेरा उठाना पड़ा था लेकिन बड़े खेद की बात है इतिहासकार कर्नल जेम्सटॉड ने अपनी पुस्तक में लार्डलेक की इस हार का और जाटों की बहादुरी का कहीं भी जिक्र नहीं किया क्योंकि भारत में अंग्रेजो की यह पहली और आखरी हार थी।

23. महाराजा कृष्ण सिंह भरतपुर नरेश के सन् 1925 ई. में पुष्कर में जाट महासभा के अधिवेशन में दिए भाषण के कुछ अंश निम्न प्रकार से हैं। उन्होंने कहा था कि "मुझे इस बात का बहुत घमण्ड है कि मेरा जन्म जाट जैसी निडर क्षत्रिय जाति में हुआ है। हमारी जाति की बहादुरी के चरित्रों से इतिहास भरा पड़ा है। हमारे पूर्वजों ने कर्तव्य धर्म के नाम पर मरना सीखा था और इसी बात के पीछे हमारा अब तक सिर ऊँचा है।

24. हमारे पूर्वजो ने जो वचन दिए, प्राणों के जाते–जाते उनका निर्वाह किया था। हमारी तेजस्विता का वर्णन आज भी संसार करता है। मुझे विश्वास है कि हमारी जाति की यश पताका शीघ्र ही संसार भर में फैहराने लगेगी। प्रथम व दुसरे विश्व युद्ध में जो जाट सैनिक अंग्रेजो की फौज में भर्ती थे उनके शौर्य का यश आज भी संसार में व्यापत है। उनके शौर्य से ही अंग्रेजो ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जीते थे। प्रथम विश्वयुद्ध में 6 जाट रेजिमैंन्ट जर्मन सेना के विरूद्ध फ्रांस में लड़ी थी। इसमें सभी जवान 6–6 फुट लम्बे और शक्तिशाली थे" जब ये जवान, जाट बलवान, जय भगवान का रणघोष बोलकर शत्रु सेना पर टूट पड़ते थे तो शत्रु सेना मोर्चे छोड़कर भाग जाती थी क्योंकि ये गोली चलाने की बजाय शत्रु सेना के सीने में संगीन घोंपकर मोर्चे से ऐसे बाहर फैंक देते थे जैसे किसान जेली से खलिहान में गेहूं की पूली फैकता है। प्रथम विश्वयुद्ध में इस रेजिमैंन्ट के कर्नल व जर्नल साहब ने ये कहा था कि किस–किस को विक्टोरियाक्रास दिलायें क्योंकि इस रेजिमैंन्ट के सारे जवान विक्टोरियाक्रास के हकदार हैं। दुसरे विश्वयुद्ध में फील्ड मार्शल रोमेल साहब द्वारा जाटों की बहादुरी की याद दिलाते हुए कहा था कि "उत्तरी अफ्रीका में जमकर लड़ने में जाट सबसे अच्छे लड़ाका हैं"। उन्होंने कहा था कि "वे सचमुच बहादुर थे, जैसा कि उन्होंने लद्धाख में भी दिखा दिया था"। चाहे 1962 भारत चीन युद्ध हो चाहे 1965, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध चाहे कारगिल युद्ध हो सभी जाटों की वजह से फतेह हुए है। 1962 के युद्ध के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेशियों की इस बात के कहने का कि चीनी सेना ज्यादा ताकतवर है, यह उत्तर दिया था कि चीनी ऐसे बहादुर थे तो लद्धाख और चुशूल हवाई अड्डे को वे क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि हमारी सेना ने चीनी सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। 1962 में हमारी सेना नहीं हारी थी क्योंकि श्री नेहरू ने हमारी सेना को पीछे हटा लिया था। यह कहकर कि वहां तिनका भी पैदा नहीं होता इसलिए पीछे हटो और लद्धाख का 38000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र 1962 में नेहरू की गलती से चीन ने दबा लिया था।

25. 1965 की लड़ाई में 3 जाट बटालियन के डॉ. एस.जी. रेड्डी ने कहा था कि घायल जवानों की मरहम पट्टी करते समय मैंने देखा कि कोई भी जवान आह कहते नहीं सूना। पाकिस्तानी कैदी ले० कर्नल गोलवाला ने कहा था कि "जाटों को रोकना हमारे लिए असम्भव था"।

26. जाटों का मोटो है कि "जब तक जीवन है वीरता से रहना मृत्यु आए तो युद्ध में ही आए और यदि आए तो छाती में गोली खाकर पीठ में नहीं ताकि स्वर्ग मिले"। विदुर नीति में भी ऐसा ही लिखा है कि अपनी मातृ भूमि की रक्षा करते हुए लड़कर मरने वाले जवानों को स्वर्ग ही मिलता है।

27. नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की फौज आई.एन.ए. में भी 50 प्रतिशत से अधिक संख्या जाटों की ही थी जिससे अंग्रेज डर गए थे और उन्होंने ने भारत को आजाद करने का निर्णय शीघ्र लेना पड़ा था क्योंकि उन्होंने जाटों की वीरता दोनों विश्वयुद्धों में देख ली थी।

वास्तविकता तो यह है कि किसी भी एतिहासिक पुस्तक को देखें तो प्राचीन काल से अब तक जाटों की वीरता के कारनामों से ग्रन्थ के ग्रन्थ भरे पड़े हैं। जोकि सब के सब यहां लिखना मुनासिब नहीं है क्योंकि यह एक छोटा सा प्रयास सूर्य को दीपक दिखाने के माफिक है या यूं कह लिजिये कि सब के सब

लिखना असम्भ्व है। एक कवि ने बहुत ठीक कहा है कि "तेरी तकदीर की देती है गवाही दूनिया। तेरी हस्ती की शहादत में है रचना तेरी।। "जाटों की वीरता का साक्षी सारा संसार है।" जिसकी पुष्टि इनके बहादुरी के कारनामों से होती है।

इन थोड़े से उपरोक्त उदाहरणों से आप समझ जाएंगे कि अज्ञानी व ईर्ष्यालु पुरूष जिन्होंने जाटों के लिए शुद्र, मलेच्छ, पतित, वैश्य या नास्तिक आदि शब्दों का प्रयोग किया कि जाट सही मायने में सच्चे देशभक्त और सचमुच में क्षत्रिय हैं क्योंकि प्राचीनकाल से अब तक जाटों ने देश भक्ति व क्षत्रिय होने के अपनी मातृभूमि की रक्षा करने हेतु अनेकों बार बलिदान देकर अपने आप को क्षत्रिय होने का सबूत दिया है।

मालिक की भाषा में पढ़ाई

– डॉ अमरनाथ, कलकत्ता विश्वविद्यालय

पिछले कुछ वर्षों से देश भर की अधिकाँश राज्य सरकारें अपने–अपने प्रान्तों की प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से मुक्त कर अंग्रेजी माध्यम में बदलने की होड़ मचा रखी हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2017 में ही अपने प्रदेश के पाँच हजार प्राथमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में बदलने का निर्णय लिया। आंध्र प्रदेश की वाईएसआर सरकार ने तो अपने यहाँ के सभी प्राथमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में बदलने का आदेश निर्गत कर दिया। कुछ लोग इसके खिलाफ कोर्ट में गए और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सबसे हास्यास्पद राजस्थान की कांग्रेस सरकार का निर्णय है। वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलौत ने पूरे प्रदेश में जिस गाँव की भी आबादी पाँच हजार से अधिक है वहाँ महात्मा गाँधी के नाम पर "महात्मा गाँधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल" खोल रहे हैं, उसी महात्मा गाँधी के नाम पर जो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के सख्त विरोधी थे। हाल यह है कि अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करने वाली प। बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने शुरू कर दिए हैं। यानी, इस मुद्दे पर देश के सभी राजनीतिक दल लगभग एकमत हैं। इसके पीछे सभी का एक ही तर्क है कि अभिभावकों की यही माँग है। उनका कहना भी सही है अभिभावकों की माँग है। अभिभावक अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं और उन्हें विश्वास है कि अंग्रेजी माध्यम से ही उनका बच्चा लायक बन सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ कैसे पैदा हुईं कि अभिभावकों को अपनी संतानों का भविष्य सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में ही दिखता है?

पिछले साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में आठ लाख विद्यार्थियों का हिन्दी में फेल होने का समाचार सुर्खियों में था। यूपीपीएससी का रेजल्ट भी महीनों तक सुर्खियों में रहा। 11 सितंबर 2020 को रेजल्ट आया तो उसमें दो तिहाई से अधिक अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थी सफल हो गए। यह संख्या पहले 20–25 प्रतिशत के आस पास रहती थी। इस साल का यूपीएससी का रेजल्ट भी ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। यहाँ हिन्दी माध्यम वाले सफल अभ्यर्थियों की संख्या सिर्फ तीन प्रतिशत रह गई है। 97 प्रतिशत अभ्यर्थी अंग्रेजी माध्यम वाले सफल हुए हैं। मैने समस्या की तह में जाने की कोशिश की तो सिर घूम गया।

देश में अराजपत्रित कर्मचारियों के चयन के लिए कर्मचारी चयन आयोग (स्टाफ सलेक्शन कमीशन) सबसे बड़ा संगठन है। इस संगठन की परीक्षाओं से हिन्दी को पूरी तरह बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। मैंने उसकी वेबसाइट पर जाकर देखा, अध्ययन किया तो सकते में आ गया। कंबाइंड ग्रेजुएट लेबल की परीक्षा जो तीन सोपानों में आयोजित होती है, उसके प्रत्येक सोपान में क्रमशः इंग्लिश कंप्रीहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एण्ड कंप्रीहेंशन तथा डेस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश ऑर हिन्दी है। प्रश्न यह है कि जब आरंभिक दो सोपानों में इंग्लिश लैंग्वेज एण्ड कंप्रीहेंशन अनिवार्य है तो तीसरे सोपान में भला हिन्दी का विकल्प कोई क्यों और कैसे चुन सकता है? जाहिर है यहाँ हिन्दी का उल्लेख केवल नाम के लिए है।

कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेबल की परीक्षा में इंग्लिश लैंग्वेज का प्रश्नपत्र है किन्तु हिन्दी का कुछ भी नहीं है। स्टेनोग्राफर्स (ग्रेड 'सी' एण्ड 'डी') के लिए 200 अंकों की परीक्षा में इंग्लिश लैंग्वेज एण्ड कंप्रीहेंशन 100 अंकों का है किन्तु हिन्दी को पूरी तरह हटा लिया गया है। जूनियर इंजीनियर्स की परीक्षा में हिन्दी का नामोनिशान नहीं है। सब इंस्पेक्टर्स (दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ तथा सीआईएसएफ) की परीक्षा दो भाग में होती है। इसके पहले भाग में 50 अंकों का इंग्लिश कंप्रीहेंशन तो है ही, दूसरे भाग में भी 200 अंकों का सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज एण्ड कंप्रीहेंशन है। विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में मल्टी टास्किंग (नान टेक्निकल) स्टाफ के लिए भी दो भागों में बँटी परीक्षा के पहले भाग में जनरल इंग्लिश है और दूसरे भाग में शार्ट एस्से एण्ड इंग्लिश लेटर राइटिंग है। आयोग ने मान लिया है कि हिन्दी में कुछ भी लिखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हिन्दी के किसी स्तर के ज्ञान की परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। यह सब देखने के बाद कहा जा सकता हैं कि देश की अराजपत्रित सरकारी नौकरियों के लिए अब हर स्तर पर सिर्फ अंग्रेजी को स्थापित कर दिया गया है और हिन्दी को पूरी तरह बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।

राजपत्रित अधिकारियों के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग तथा विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग हैं। संघ लोक सेवा आयोग का गठन अंग्रेजों ने 1926 में किया था। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ परीक्षाओं का माध्यम सिर्फ अंग्रेजी थीं। आजादी के बाद 1950 में इस परीक्षा के लिए सिर्फ तीन हजार प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया

था और 1970 में यह संख्या बढ़कर ग्यारह हजार हुई थी। 1979 में कोठारी समिति के सुझाव लागू हुए जिसने संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में परीक्षा देने की संस्तुति की थी। इससे देश के दूर दराज के गाँवों में दबी प्रतिभाओं को भी अपनी भाषा में परीक्षा देने के अवसर उपलब्ध हए। परिणाम यह हुआ कि 1979 में परीक्षा देने वालों की संख्या एकाएक बढ़कर एक लाख दस हजार हो गई। अब हर साल गाँवों के गरीबों के बच्चों की भी एकाध तस्वीरें अखबारों में अवश्य देखने को मिल जाती थीं जिनका चयन इस प्रतिष्ठित सेवा में हो जाता था। शीर्ष पर बैठे हमारे नीति नियामकों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने 2011 में वैकल्पिक विषय को हटाकर उसकी जगह 200 अंकों का सीसैट (सिविल सर्विस एप्टीट्यूट टेस्ट) लागू किया जिसमें मुख्य जोर अंग्रेजी पर था। इससे हिन्दी माध्यम वाले परीक्षार्थियों की संख्या तेजी से घटी। इसका राष्ट्र व्यापी विरोध हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आन्दोलनकारियों के पक्ष में अपेक्षित निर्देश दिए, तब जाकर 2014 में आयोग ने कुछ बदलाव किए। किन्तु इसके बाद धीरे– धीरे आयोग ने सीसैट सहित यूपीएससी परीक्षा के नियमों में दूसरे अनेक ऐसे परिवर्तन किए जिससे हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा पास करना भी कठिन होता गया। 2009 में हिन्दी माध्यम से जहाँ 25।4 प्रतिशत परीक्षार्थी सफल हुए थे वहाँ 2019 में यह संख्या घटकर मात्र 3 प्रतिशत रह गई। पहले जहाँ टॉप टेन सफल अभ्यर्थियों में तीन–चार हिन्दी माध्यम वाले अवश्य रहते थे वहाँ 2019 में चयनित कुल 829 अभ्यर्थियों में हिन्दी माध्यम वाले चयनित अभ्यर्थियों में पहले अभ्यर्थी का स्थान 317वाँ है।

तीन स्तरों पर होने वाली संघ लोक सेवा आयोग की इस सर्वाधिक प्रतिष्ठित परीक्षा में हिन्दी माध्यम वालों को अमूमन प्रारंभिक परीक्षा में ही छांट दिया जाता है। मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए भी न तो उन्हें स्तरीय पाठ्य–सामग्री सुलभ है और न बेहतर कोचिंग की सुविधा क्योंकि आर्थिक दृष्टि से भी वे कमजोर होते हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि के ऐसे अभ्यर्थी ज्यादातर मानविकी के विषय चुनते हैं। तकनीकी विषय चुनने वाले अभ्यर्थियों की तुलना में स्वाभाविक रूप से उन्हें कम अंक मिलते हैं। साक्षात्कार में भी हिन्दी माध्यम वालों के साथ भेदभाव किया जाता है। प्रश्नों के हिन्दी अनुवाद देखकर तो कोई भी सिर पीट लेगा। कुछ बानगी आप भी देखिए,

"भारत में संविधान के संदर्भ में, सामान्य विधियों में अंतर्विस्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद–142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतिरोध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते।" एक दूसरा वाक्य है, "वार्महोल से होते हुए अंतरा–मंदाकिनीय अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई।" (डॉ। विजय अग्रवाल द्वारा उद्धृत)

प्रश्न निर्माताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए 'शल्यक प्रहार', डिजिटलीकरण के लिए 'अंकीयकृत', साइंटिस्ट आब्जर्ब्ड के लिए 'वैज्ञानिकों ने प्रेक्षण किया', स्टील प्लांट के लिए 'इस्पात का पौधा', डेलिवरी के लिए 'परिदान', सिविल डिसओबिडिएंस मूवमेंट के लिए 'असहयोग आन्दोलन' आदि किया है। इनमें डेलिवरी के लिए 'वितरण' तथा डिसओबिडिएंस मूवमेंट के लिए 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' तो बेहद प्रचलित शब्द हैं। इन्हें भी गलत लिखना प्रमाणित करता है कि हिन्दी अनुवाद को गंभीरता से नहीं लिया जाता।

अमूमन सहज ही कह दिया जाता है कि जिन्हें हिन्दी अनुवाद समझ में नहीं आता है उनके लिए मूल अंग्रेजी तो रहता ही है। किन्तु यहां समझने की बात यह है कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में छः से सात लाख परीक्षार्थी शामिल होते हैं और उनमें से लगभग तेरह प्रतिशत परीक्षार्थी ही मुख्य परीक्षा के लिए अपनी अर्हता प्रमाणित कर पाते हैं। ऐसी दशा में 0।01 प्रतिशत अंक का भी महत्व होता है। परीक्षार्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही लिखना होता है। ऐसी दशा में हिन्दी माध्यम का परीक्षार्थी यदि प्रश्न को समझने के लिए अंग्रेजी मूल भी देखने लगा तो उसका पिछड़ना तय है।

प्रश्न यह है कि देश के लोक सेवकों को कितनी अंग्रेजी चाहिए ? उन्हें इस देश के लोक से संपर्क करने के लिए हिन्दी सीखनी जरूरी है या अंग्रेजी ? उन्हें जनता के सामने अंग्रेजी झाड़कर उनपर रोब जमाना है या उन्हें समझाना– बुझाना ? उनके साक्षात्कार अंग्रेजी माध्यम से क्यों लिए जाते हैं ? क्या उन्हें इंग्लैंड में सेवा देनी है ? इस देश के सबसे बड़े पद तो राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और गृहमंत्री के है। इन पदों पर बैठे लोगों का काम तो हिन्दी और गुजराती बोलने से चल जाता है। ऐसे लोक सेवकों को लोक सेवा का अधिकार क्यों मिलना चाहिए जो लोक की भाषा में बोल पाने में भी अक्षम हों ? हिन्दी माध्यम के अपने बैच के टॉपर निशांत जैन ने अपना अनुभव बाँटते हुए कहा है कि हिन्दी माध्यम वाले आईएएस अधिकारी अंग्रेजी माध्यम वालों की तुलना में जनता के प्रति अधिक संवेदनशील देखे गए हैं।

न्याय के क्षेत्र की दशा यह है कि आज हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट से लेकर 25 में से 21 हाई कोर्टों में हिन्दी सहित किसी भी भारतीय भाषा का प्रयोग नहीं होता है। मुवक्किल को पता ही नहीं होता कि वकील और जज उसके केस के बारे में क्या सवाल–जवाब कर रहे हैं। उसे अपने बारे में मिले फैसले को समझने के लिए भी वकील के पास जाना पड़ता है और उसके लिए भी उसे पैसे देने पड़ते हैं।

सरकारी नौकरियों, प्रशासन और न्याय व्यवस्था में अंग्रेजी के वर्चस्व के लिए क्या जनता जिम्मेदार है या सरकार और उसकी नीतियाँ ? आज शिक्षा को व्यापार और मुनाफे के लिए ज्यादातर निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया गया है। हमारे नौनिहालों से उनकी मातृभाषाएं क्रूरता के साथ छीन लेना छोटा अपराध नहीं है। केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में भी ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि आठवीं –नवीं के बाद ही बच्चों की हिन्दी छूट जाती है। उनके

तर्क हैं कि अभिभावकों की यही माँग है। प्रश्न यह है कि जब अफसर से लेकर चपरासी तक की सभी नौकरियाँ अंग्रेजी के बलपर ही मिलेंगी तो कोई अपने बच्चे को हिन्दी पढ़ाने की भूल कैसे करेगा ? निस्संदेह हिन्दी पढ़ने से नौकरी मिलने लगे तो लोग हिन्दी पढ़ाएंगे। यूपी बोर्ड में आठ लाख बच्चों के फेल होने की खबर तो सुर्खियों में थी और सारा दोष शिक्षकों पर डाला जा रहा था किन्तु इस ओर ध्यान नहीं था कि अंग्रेजी की शब्दावली और व्याकरण रटने में ही जब बच्चों का सारा समय चला जाएगा तो अपने घर की भाषा हिन्दी पढ़ने के लिए वे कैसे समय निकाल पाएंगे ?

इस देश में तकनीकी, मेडिकल, मैनेजमेंट, कानून आदि की शिक्षा तो अंग्रेजी माध्यम से होती ही है राजधानी के विश्वविद्यालयों में मानविकी और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा भी अंग्रेजी माध्यम से होने लगी है जबकि पढ़ाने वाले अध्यापक ज्यादातर हिन्दी पट्टी के ही हैं। इन सबके पीछे अंग्रेजी का दिनोंदिन बढ़ता रुतबा है जिसके लिए सिर्फ सरकारें जिम्मेदार हैं।

हाल ही में प्रकाशित अपनी पुस्तक "द इंग्लिश मीडियम मिथ" में संक्रान्त सानु ने प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर दुनिया के सबसे अमीर और सबसे गरीब, बीस –बीस देशों की सूची दी है। बीस सबसे अमीर देशों में उन देशों की जनभाषा ही सरकारी कामकाज की भी भाषा है और शिक्षा के माध्यम की भी। इसी तरह दुनिया के सबसे गरीब बीस देशों में सिर्फ एक देश नेपाल है जहाँ जनभाषा, शिक्षा के माध्यम की भाषा और सरकारी कामकाज की भाषा एक ही है नेपाली। बाकी उन्नीस देशों में राजकाज की भाषा और शिक्षा के माध्यम की भाषा भारत की तरह जनता की भाषा से भिन्न कोई न कोई विदेशी भाषा है। (द्रष्टव्य, द इंग्लिश मीडियम मिथ, पृष्ठ–12–13) इस उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है कि अंग्रेजी माध्यम हमारे देश के विकास में कितनी बड़ी बाधा है।

आज भी इस देश की सत्तर प्रतिशत जनता गावों में ही रहती है। उनकी शिक्षा ग्रामीण परिवेश की शिक्षण संस्थाओं में ही होती है। गाँवो की इन प्रतिभाओं को यदि मुख्य धारा में लाना है तो उन्हें उनकी अपनी भाषाओं में शिक्षा देना एकमात्र रास्ता है और यही हमारे संविधान का भी संकल्प है। हमारा संविधान, देश के प्रत्येक नागरिक को 'अवसर की समानता' का अधिकार देता है।

हमारी शिक्षा नीति की सबसे बड़ी खामी है असमानता। गरीबों और अमीरों के लिए अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था। यदि शिक्षा सबके लिए समान और मुत नहीं है तो गाँवों में छिपी प्रतिभाओं को मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर कैसे मिलेगा ? ईश्वर ने अमीरों और गरीबों के बच्चों को प्रतिभा देने में कोई बेईमानी नहीं की है। बेईमानी हमने की है साधन और सुविधाओं का असमान बँटवारा करके, और शोषण को न्यायसंगत ठहराने का कानून बना करके। जिसके पास ज्यादा पैसा है वह बेहतर शिक्षा खरीद ले रहा है। चंद अपवादों को छोड़ दें तो इस शिक्षा व्यवस्था में मजदूरों–किसानों के बच्चों को मजदूर ही बनना है, चाहे वे जितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हों और मालिकों के बच्चों को मालिक, चाहे वे भले ही मंदबुद्धि के हों। नई शिक्षा नीति–2020 इस असमानता को और अधिक बढ़ाएगा। कुछ वर्ष पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया था जिसपर आजतक कोई अमल नहीं हुआ। न्यायालय ने आदेश दिया था कि राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक और प्रधान मंत्री से लेकर विधायक तक, जितने भी लोग सरकारी खजाने से वेतन पाते हैं उनके बच्चों को अनिवार्य रूप से सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ने की व्यवस्था हो। यदि सरकार कोर्ट के उक्त आदेश को अमल में ले आए तो ज्यादातर समस्या हल हो सकती है। पड़ोस के देश भूटान में यही होता है। बड़े से बड़े ओहदेदारों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इसलिए सरकारी स्कूलों की दशा अच्छी है। वहां भी प्राइवेट स्कूल हैं किन्तु उनमें वे ही बच्चे पढ़ते हैं जिनका प्रवेश सरकारी स्कूलों में नहीं हो पाता। किन्तु इसके लिए सरकारी विद्यालयों की दशा सुधारनी होगी, वहां अपेक्षित साधन और सुविधाओं का इंतजाम करना होगा, शिक्षा–मित्रों की जगह पर्याप्त और सुयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी। इन सबके लिए शिक्षा का बजट बढ़ाना पड़ेगा जबकि शिक्षा–क्षेत्र के बजट में लगातार कटौती की जाती रही है। जीडीपी का छः प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का वादा लगभग सभी सरकारें हमेशा से करती रही हैं किन्तु कभी किसी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो निजीकरण को पर्याप्त महत्व दिया गया है, इससे भला कैसे उम्मीद की जाय?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के जिस प्रावधान की सबसे ज्यादा प्रशंसा हो रही है वह है प्रारंभिक शिक्षा को मातृभाषाओं या स्थानीय भाषाओं के माध्यम से दिए जाने की संस्तुति। गांवों से लेकर शहर तक, देश भर में फैले अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के साम्राज्य को देखते हुए प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों द्वारा इस कदम की प्रशंसा करना स्वाभाविक भी है। जबतक हमारी शिक्षा, हमारी अपनी भाषाओं के माध्यम से नहीं होंगी तबतक गांवों की दबी हुई प्रतिभाओं को मुख्य धारा में आने का अवसर नहीं मिलेगा।

आजादी के बाद इस विषय को लेकर राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग आदि अनेक आयोग बने और उनके सुझाव भी आए। सबने एक स्वर से यही संस्तुति की कि बच्चों की बुनियादी शिक्षा सिर्फ मातृभाषाओं में ही दी जानी चाहिए। दुनिया के सभी विकसित देशों में वहां की मातृभाषाओं में ही शिक्षा दी जाती है। मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि अपनी मातृभाषा में बच्चे खेल–खेल में ही सीखते हैं और बड़ी तेजी से सीखते हैं। उनकी कल्पनाशीलता का खुलकर विकास मातृभाषाओं में ही हो सकता है।

गाँधी जी चाहते थे कि बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सबकुछ मातृभाषा के माध्यम से हो। 'यंग इंडिया' में उन्होंने लिखा है, "अगर मेरे हाथों में तानाशाही सत्ता हो तो मैं आज से ही हमारे लड़के और लड़कियों की विदेशी माध्यम के जरिये शिक्षा बंद कर दूं और सारे शिक्षकों और प्रोफेसरों से यह माध्यम तुरन्त बदलवा दूं या उन्हें बरखास्त कर दूं। मैं पाठ्यपुस्तकों की तैयारी का इंतजार

नहीं करूंगा। वे तो माध्यम के परिवर्तन के पीछे–पीछे चली आवेंगी।" 'हिन्द स्वराज' में उन्होंने लिखा कि, "अंग्रेजी शिक्षण से दंभ, द्वेष, अत्याचार आदि बढ़े हैं। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों ने जनता को ठगने और परेशान करने में कोई कसर नहीं रखी। भारत को गुलाम बनाने वाले तो हम अंग्रेजी जानने वाले लोग ही हैं।"

ऐसी दशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा को मातृभाषा या स्थानीय भाषा के माध्यम से देने का सुझाव निश्चय ही स्वागत योग्य है, किन्तु शिक्षा की वर्तमान दशा को देखते हुए क्या यह व्यवहार में उतर सकेगा ? मुझे तो तनिक भी भरोसा नहीं हो रहा है। देश में स्कूली शिक्षा की दूकानें चलाने वालों का पूरा व्यापार अंग्रेजी माध्यम की बदौलत ही फल–फूल रहा है। देश के सैकड़ों सांसद होंगे जो शिक्षा के व्यापारी भी हैं। भला वे माध्यम बदलेंगे ? सीबीएससी ने तो पहले ही कह दिया है कि उनके यहाँ जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनमें से ज्यादातर ट्रॉंसफर की प्रकृति वाली नौकरी करने वाले लोग होते हैं। वे भला स्थानीय भाषा के माध्यम से शिक्षा कैसे दे सकेंगे ? राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के नियम–4 |9 में इस तरह का संकेत भी है कि ह्वेयरएवर पॉसिबुल, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अनटिल एट लीस्ट ग्रेड–5, बट प्रिफरेबली टिल ग्रेड–8 एंड बियांनड, विल बी द होम लैंग्वेज एंड मदर टंग लोकल लैंग्वेज। देयर ऑटर द होम लोकल लैंग्वेज शैल कॉन्टिन्यु टू बी टाट एज लैंग्वेज ह्वेयेवर पॉसिबुल। यहां आरंभ में और अंत में भी 'ह्वेयएवर पॉसिबुल' अर्थात 'यथासंभव' शब्द का इस्तेमाल यह प्रमाणित करता है कि इस प्रावधान को लागू कराने पर जोर नहीं है। यह पूरी तरह लागू करने वाले की इच्छा पर निर्भर है। यानी, मेरी दृष्टि में यदि यह शिक्षा नीति लागू होती है तो भी भाषा संबंधी प्रावधान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

चिन्ताजनक तो यह है कि पहले की ही तरह इस नई शिक्षा नीति में भी संकेत कर दिया गया है कि कक्षा आठ के बाद सबकुछ फिर अंग्रेजी में हो जाएगा। जबकि पिछले दिनों सुर्खियों में रहे एम्स, आई.आई.टी. और मैनेजमेंट के अनेक प्रतिभाशाली छात्रों ने इसलिए आत्महत्याएं कर लीं क्योंकि ग्रामीण परिवेश और स्थानीय भाषाओं के माध्यम से अबतक की शिक्षा पाने के कारण वे उक्त संस्थानों के अपने प्रोफेसरों के अंग्रेजी के व्याख्यान पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे।

प्रश्न यह है कि आगे की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं में हो पाना क्यों संभव नहीं है? जब अंग्रेज नहीं आए थे और हम अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करते थे तब हमने दुनिया को बुद्ध और महावीर दिए, वेद और उपनिषद दिए, दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र दिए, चरक जैसे शरीर विज्ञानी और शूश्रुत जैसे शल्य–चिकित्सक दिए, पाणिनि जैसा वैयाकरण और आर्य भट्ट जैसे खगोलविज्ञानी दिए, पतंजलि जैसा योगाचार्य और कौटिल्य जैसा अर्थशास्त्री दिए। हमारे देश में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जहां दुनिया भर के विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। इस देश को 'सोने की चिड़िया' कहा जाता था जिसके आकर्षण में ही दुनिया भर के लुटेरे यहां आते रहे। प्रख्यात आलोचक रामविलास शर्मा ने कहा है कि दुनिया के किसी भी देश की संस्कृति से मुकाबला करने के लिए अपने यहां के सिर्फ तीन नाम ले लेना ही काफी है– तानसेन, तुलसीदास और ताजमहल। हम विश्वगुरु बनने का ख्वाब तो देखते हैं मगर भाषा दूसरे की। किसी ने कहा है, "मर्द बनते हो यार ! हथियार दूसरे का।"

जिस जापान की तकनीक और कर्ज के बलपर हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन की नींव पड़ी है, उस जापान की कुल आबादी सिर्फ 12 करोड़ है। वह छोटे–छोटे द्वीपों का समूह है। वहां का तीन चौथाई से अधिक भाग पहाड़ है और सिर्फ 13 प्रतिशत हिस्से में ही खेती हो सकती है। फिर भी वहां सिर्फ भौतिकी में एक दर्जन से अधिक नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक हैं। ऐसा इसलिए है कि वहां 99 प्रतिशत जनता अपनी भाषा 'जापानी' में ही शिक्षा ग्रहण करती है। इसी तरह इजराइल की कुल आबादी मात्र 83 लाख है और वहां 11 नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक हैं क्योंकि वहां भी उनकी अपनी भाषा 'हिब्रू' में शिक्षा दी जाती है। चीन भी उसी तरह का बहुभाषी विशाल देश है जिस तरह का भारत। किन्तु उसने भी अपनी एक भाषा चीनी (मंदारिन) को प्रतिष्ठित किया और उसे वहां पढ़ाई का माध्यम बनाया। चीनी लिपि तो दुनिया की सबसे कठिन लिपियों में से है। वह चित्र–लिपि से विकसित हुई है। आज चीन जिस ऊंचाई पर पहुंचा है उसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि उसने अपने देश में शिक्षा का माध्यम अपनी चीनी भाषा को बनाया। इसी तरह अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि दुनिया के सभी विकसित देशों में वहां की अपनी भाषाओं क्रमशः अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी आदि में ही शिक्षा दी जाती है। इसीलिए वहां मौलिक चिन्तन संभव हो पाता है।

परन्तु मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षा तभी लागू हो सकती है जब नौकरियों में भारतीय भाषाओं को समुचित जगह मिलेगी। क्योंकि तभी उसकी माँग बढ़ेगी। यह एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहाँ का नागरिक चाहे देश की सभी भाषाओं में निष्णात हो किन्तु एक विदेशी भाषा अंग्रेजी न जानता हो तो उसे इस देश में कोई नौकरी नहीं मिल सकती और चाहे वह इस देश की कोई भी भाषा न जानता हो और सिर्फ एक विदेशी भाषा अंग्रेजी जानता हो तो उसे इस देश की छोटी से लेकर बड़ी तक सभी नौकरियाँ मिल जाएंगी। ऐसे माहौल में कोई अपने बच्चे को अंग्रेजी न पढ़ाने की मूर्खता कैसे कर सकता है ?

भाषा के सवाल को लेकर हमें किसी भी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। हमारे देश में अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा नहीं है वह सत्ताधारी वर्ग के हाथ में एक ऐसा हथियार है जिसके बलपर वे सत्ता पर काबिज हैं। ये 'काले अंग्रेज' ही आज के हमारे मालिक हैं और हर गुलाम आदमी सोचता है कि मालिक की भाषा जानेंगे तो फायदे में रहेंगे। हमें इस सचाई को समझना होगा कि अपनी भाषा की प्रतिष्ठा की लड़ाई व्यवस्था–परिवर्तन की लड़ाई का ही हिस्सा है। क्या हम इस लड़ाई में अपनी सीमित भूमिका भी निभाने को तैयार हैं ?

शेष पिछले अंक का

आजादी के अमृत महोत्सव का समापन

– सूरजभान दहिया

हमें पता ही नहीं कि हमारे 1857 के पूर्वज स्वतन्त्रता सेनानी कौन थे? न हमें अपने परिवार इतिहास का पता है और न जाट इतिहास का ? अंग्रेज अब भी अपने 1857 में युद्ध में मारे गये पूर्वजो को भारत श्रद्धाजंलि देने आते है। हम तो ऐसा करने में रूचि नही रखते। जिस कौम का इतिहास गायब है, उस कौम का अधोपतन में जाना तो निश्चत है। बस यही जाटों के साथ हुआ है? क्यों बल्लभगढ़ नाहर सिंह पलैस होटल को सुपर्द है? क्यों भरतपुर महल सेल पर है। यही है अमृतमहोत्सव की झांकी? प्रसिद्ध इतिहासकार फररिम्पल जाटो को कहते हैं–"आप सुस्त न बनिये–आपका गौरमयी इतिहास National Archives, नई दिल्ली तथा जिले के भिन्न–भिन्न मुख्यालयों में दबा पड़ा है इसे खंगालिये–रच डालो जाट वीर गाथा और 1857 के जाट जांबाजो की गांव'गांव में स्मृति मीनार बनाकर दिन–प्रतिदिन दीया–बाती करके उन्हें स्मरण करते हुये भावी पीढ़ी में जाट वीरतत्व का जजबा जागृत कीजिये।"

आजादी के बाद शुरू में भारत इतिहास लेखन नेहरू लाईब्रेरी नई दिल्ली से होता था, अब यह नागपुर से होता है, इसलिये जाट इतिहास सोची समझी की नीति के तहत स्कूल/कॉलेज पाठयक्रमों में गायब कर रखा है। जाट युवा छात्र बार–बार यह प्रश्न करते हैं – कहां है जाट इतिहास पढ़ने को जिसकी औपचारिकता हमें जाट सम्मेलनी में सुनने को मिलती है? दिल्ली विश्वविद्यालय में जाट छात्र संगठन है वह सुलझाये, उसे जान लेना चाहिये कि चौ० छोटूराम ने 1918 में अखिल भारतीय जाट विद्यार्थी परिषद का गठन किया था इस परिषद का शताब्दी वर्ष 2018 में मेरे लेख के बावजूद भी Un-noticed चला गया। एक और ऐसा अवसर 2025 में रहा है। जब 1924 से चौ० छोटूराम पंजाब के मंत्री थे तो अखिल भारतीय जाट विद्यार्थी परिषद का 23 नवम्बर 1925 को पुष्कर में प्रथम सम्मेलन को उन्होंने संबोधित करते हुये कहा था– "नागौरी बैल व जाट गाबरू के डीलडौल को देखते मुझे गर्व होता है। इन दोनों ने मरूस्थल को मात दी। माटी में माटी होकर इन्होंने सुनहरी जिनस गेहूं को पैदा किया। पर खुद इस हाली को क्या मिला–लांडी धोती और भूख से घसा पेट। न जाने कितने भरकम करो का भार उसकी पीठ पर – चंवरीक्रर, चरखी कर, ठाकूर सिंहासन कर, घोड़ी–बछेरा–बछेरी कर, घर–चूल्हा कर और न जाने क्या क्या कर? अब जाट ने करवट बदल ली है। मैं गेहूं के मानद जाट का सुनहरी भविष्य बनाने का प्रण लेता हूं। अब हम असली जन इतिहास रचेंगे। राजे महाराजाओं, रजवाड़ो के महलो के रागदरबारी इतिहास की जगह खेत–खलियान और जाट बलवान के रणबाकंरों का इतिहास रचेंगे। सच को ऊपर लायेंगे –History is the people

आगे उन्होंने कहा – "हमने अपने बाहुबल से अनेक युद्धो में विजय श्री को चूमा है, पर आगे चलकर बाहुबल मुक्कमल औजार नहीं रहेगा। इससे कही, और प्रबल औजार पाना होगा और कहा है – 'ज्ञानबल'। हमें हर हालत में इसे पाना होगा। इसलिये मैं यहां जाटो की नई पौध बौने आया हूँ, यह पौध जब जवान, बुद्धिमान, शक्तिमान, ज्ञानवान व कीर्तिमान बनेगी तो यह राजघरानो के एकाधिकार को तोड़ देगी। इतिहास उसी ओर मूड जायेगा जिधर हमारी यह युवा ज्ञानवान शक्ति कदम रखेगी। 21वी संदी मे हम नया इतिहास रचेंगे। अन्त में उन्होंने कहा – "राहे–तलब की दौड़ में, थकता नहीं है। आप पर मुझे नाज है, आपसे मुझे बहुत उम्मीद हैं।" निःसन्देह हमारे युवको ने ज्ञान बल हथिहार लिया है। हमारी युवा दिव्यता हार्वड विश्वविद्यालय (अमेरिका) में जा पहुंची है, गूगल में भी वह सम्मानित हो गई है। इन्होंने चौ० छोटूराम की उम्मीद को पूरा किया है। जय जाट, युवा बुद्धिमान–बलवान। अभी–अभी इंग्लैंड में कामन वेल्थ खेलो में जाट खिलाड़ियों ने जो अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, उसके बारे में वहां के प्रसिद्ध समाचार पत्र 'The Times' ने लिखा और स्वीकारा कि "जाट को दुनिया की सबसे ताकतवर नस्ल होने का गौरव प्राप्त है" – 'कुछ तो बात है, हममें कि मिटती नहीं हस्ती हमारी।' जाटो ने ले लिया प्रण तो ले लिया – 1857 में अंग्रेजो के सूरज को डूबाने की ठाणी तो डूबा दिया। सुना है कि अब भारत में अमृतकाल शुरू हो गया है। पिछले 75 सालो से यहां मंथन चल रहा था। अमृत कौन ले भागा, पता होना चाहियें। भारत माता ग्रामवासनी थी, ग्रामवासनी है और ग्रामवासनी रहेगी। उसके मेहनतकश कर्जे में हुये कुबड़े किसान पुत्र को विष थमा दिया – 27 रुपये दिहाड़ी पर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है। बांके दयाल हमें सचेत करते हैं :– "पगड़ी संभाल ओ जट्टा! लूट गया तेरा माल ओ जट्टा .. ..." जब वे अपनी पीड़ा सुनाने आपणी दिल्ली के आपणे मालचा घर के लिये कूच करता है तो उसे वहां आने से रोक दिया जाता है। याद रहे मालचा गांव जाटो का था जिसे हुकूम्मत ने हथिया लिया है। पर उन भाईयों को उनकी जमीन–जायदाद का अभी तक मुआवजा नहीं दिया है। वे अब भी संर्घषशील हैं – कितनी पीढ़ियां अपने वाजिब हक के लिये संघर्षशील रहेगी? किसान गांधीवादी बनकर यहां आया, बरसभर आपणी दिल्ली की बार्डर पर संघर्षरत रहा, 750 किसान भाई शहीद भी हुये, पर मालचा–रायसीना हिलकी सरकार ने किसान व्यवथा की अनदेखी कर दी। क्या किसान भी कभी अमृतपाने का हकदार होगा? या वह विषकारी सेवन करता रहेगा?

जाईये किसानो के चार तीर्थ घामो – चम्पारण, कोकंण, बरदोली व गढ़ी सांपला पर, शायद किसान युवाओं में से किसी को भगतसिंह बनने की प्रेरणा मिल जाये तथा वह किसान खुशहाली की इबारत लिख दे। क्या हम थोड़ा सा अपने समकालीन इतिहास का अवलोकन करे? राजा महेन्द्र प्रताप ऐसे कुशल राजनीतिज्ञ एवं स्टेट्समेन थे जिन्होंने अंगेजी शासनकाल

में ही आजाद भारत की प्रथम गणतन्त्र सरकार विदेश में गठित कर दी थी परन्तु इतनी महत्वपूर्ण भारत के सन्दर्भ में राजनैतिक एवं ऐतिहासिक घटना का कहीं भी हमारे आधुनिक इतिहास में उल्लेख नहीं होने दिया। जरा अमेरिका, रूस, चीन और भारत के किसान इतिहास का अध्ययन कीजिये। सभी देशों में क्रांतियां आई हैं–पर भारत में किसान क्रांतिकारी नेताओं को अनभिज्ञ कर दिया है जबकि भारत विश्व का सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश है। कब तक हमारा इतिहास दबाया जाता रहेगा? क्यों आप अपना सत्यापित इतिहास नहीं लिखते? क्यों आप इस पाक जिम्मेवारी को निभाने में असमंजस में हैं – ठाण लीजिये, लिख डालिये विश्व जाट इतिहास।

जाट अफसाना मैंने बयान कर दिया – गैर महफिलो में तो यह गूजंता हैं, पर अपनो में नहीं। फिलहाल आप स्वतन्त्रता सेनानी दिवस (10मई) खापदिवस (महाराजा हर्षवर्धन जंयती), भारतगण राज्य स्थापना दिवस (राजा महेन्द्र प्रताप जंयजी) नाहर सिंह नरेश जयंती, महाराजा सूरजमल जंयती, जय–जय–जवान, जय–किसान दिवस (लाल बहादुर शास्त्री जयंती), अंग्रेज भगाओ दिवस–भारत छोड़ो दिवस (नेता सुभाष च्नद्र जयंती), शहीद भगत सिंह जयंती निष्ठा एवं समर्पणता से मनाने का दृढ़ संकल्प ले। प्रत्येक जाट परिवार जाट साहित्य रखना जाट मर्यादा माने तथा उसका मनन परिवार की दिनचर्या का अनिवार्य अंग बने – बस यही हमारा अमृतकाल है।

आज स्वस्थ इतिहास-बोध कहाँ है।

– डॉ० धर्मचन्द्र विद्यालंकार

भारतीय लोगों का ज्ञान प्रायः ही अवधारणा पर ही आधारित रहा है। क्योंकि हमें श्रद्धा एवं भक्ति ने बस संश्लेषण करना ही तो सिखाया है। उन्होंने हमें विवरण और विश्लेषंण की तर्कपूर्ण मनीषा कब दी है। यथा, पुसणों में यदि यह बताया गया था कि श्रीकृष्ण ने गोवर्धन–पर्वत को अपने हाथों से ही छाते की भाँति ऊपर उठाकर ब्रज वासियों की इन्द्र की अतिवृष्टि के प्रबल प्रकोप से बचा लिया था तो हमारे धर्मभीरु भक्तजन इसी बात को सोलहों आने सत्य मान लेंगें। जबकि वास्तव में होता ऐसा है कि जलप्लावन या बाढ़ आने पर पर्वत अथवा रेत के धोरों पर अपने परिवारों एवं पशुओं को ले जाकर किसान लोग उस प्राकृतिक आपदा से अपना बचाव किया करते थे।

इस प्रकार से धार्मिक अंधास्था की धुंध ने हमारे विवेक की वर्तिका को बुझा दिया है। जिसका लाभ हमारे चंट और चालाक पंडे–पुजारियों ने भरपूर उठाया है। लगभग सभी धर्माचायों ने अपने–अपने आराध्य देवों के विषय में ऐसी ही चमत्कारपूर्ण परिघटनाएँ अपने–अपने धर्मग्रंथों में घड़ रक्खी हैं। और तो कया, इन पुराकथाओं किंवा धर्मगाथाओं को ही मध्यकाल में इतिहास मान लिया जाया करता था। कारण यहाँ पर वीर–पूजा का भाव बहुत ही प्रबल जनमानस में सदैव से रहा हूँ। अतीत के वीर या राजपुरुषों को ही मध्यकाल में पौराणिक पण्डितों ने उनका अतिशय और मत्कारिक वर्णन करके उनको अवतार तक जनमन में बनाकर बिठा दिया था।

ऐसी ही किंवदन्तियाँ ऐतिहासिक घटनाओं अथवा व्यक्तियों के साथ भी जुडी हुईं हैं। यथा, कई तथाकथित इतिहासकार प्रथम स्वतंत्रता–संग्राम में सभी देशी नरेशों को एक माला में पिराने का श्रेय मंगल–पाण्डेय को ही न जाने क्यों देते हैं। जबकि वह तो बगावत के आरोप में बहरामपुर की जेल में ही देशद्रोह के आरोप में फांसी पर ब्रिटिश कम्पनी–सरकार नें चढा दिया था। उसे बाहर आने का अवसर ही कहाँ मिला था कि वह भारतीय नरेशों से मिल पाता।

सह उन्मुक्त अवसर यंदि मिला था तो कानपुर के एक अध्यापक अजीमुल्लाखान को ही मिला था जोकि बाद में नाना पेशवा घोंधोपन्त बिदूर का निजी सविच भी बन गया था। वहीं से उसे सभी नरेशों और नबावों से मिलने के लिए प्राधिकार–पत्र भी तो प्राप्त हुए थे। वही व्यक्ति अकेला उस जमाने में ऐसा था जोकि तीन–तीन भाषाओं का ज्ञान रखता था– अंग्रेजी–फारसी और उर्दू या हिन्दी। तभी वह इंग्लैंड तक भी जाकर भारतीय स्वतंत्रता की अलख सर्वप्रथम जगा सका था। उसने ही पूरे के पूरे उत्तर–पूर्वी एवं पश्चिमी देश में घूम–घूमकर विशेषकर देशी सामन्तों और नवाबों को संघर्ष के लिए सन्नद्ध किया था। और तो क्या, एक प्रकार से भारतवर्ष का सर्वप्रथम राष्ट्रगीत निर्मात्ता भी तो वही था–

"यह हिन्दुस्तान है हमारा, हम हैं इसके मालिक।"

– कहने या लिखने वाला वही प्रथम पुरोधा था। उसी ने रानी झाँसी से लेकर ताँत्या टोपे, वक्तखान पठान बरेली और बल्लबगढ नरेश अमर शहीद राजा नाहरसिंह तक से सघन सम्पर्क स्थापित किया था। बाद में इन्हीं लोगों ने दिल्ली की ओर कूच करके पेंशन याता वृद्ध बादशाह बहादुरशाह जफर को भी नेतृत्व देने के लिए उद्यत किया था। पंरन्तु न जाने क्यों सारे ही प्रथम स्वतंत्रता–संग्राम के लेखकों ने उसी संघर्ष के सर्वप्रथम सूत्रधार को आज भुला दिया है।

ऐसा इतिहास का संभवतय साम्प्रदायीकरण के कारण भी हुआ होगा। जैसेकि दस दिनों तक सतत संघर्ष करने वाली वीरांगना झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई का तो सभी लेखकों ने बढचढ कर गौरव–गान किया है। परन्तु पूरे एक वर्ष तक

आप्राण संघर्षरत रहने वाली अवध की बेगम हजरत महल और वहीं की जीनत महल जैसी महान मुस्लिम महिलाओं को हमने विस्मृति के गहरे गर्त में पटक दिया है। अवध की बेगम ने नवाब वाजिदअली के देशनिर्वासन एवं बन्दी बनाए जाने के बावजूद भी अपने नादान पुत्र विरजेश बदर को सिंहासन पर आरूढ़ करके उसने अवध–क्षेत्र को जनता का स्वयं ही कुशल नेतृत्व किया था। तब वर्षभर बाद वह नेपाल नरेश ने पकड़वाई थी। कारण वह अंग्रेजों का मित्र था। क्योंकि बिट्रिश इन्डिया की कम्पनी सरकार ने नेपाल का विलय अपने राज्य में नहीं किया था। इसी प्रकार से ग्वालियर के शासक–सामन्त सिंधि या ने भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कम्पनी सरकार का ही भरपूर सहकार किया था। यदि वह शासक रानी झांसी और बिठूर तथा दतिया के विद्रोही सैनिकों को उस काल में अस्त्र–शस्त्र से सहायता कर देते थे तो कोई कारण नहीं था कि अंग्रेजी सेना मध्यभारत में अपने पैर जमा पाती। जैसाकि जनरल हयूरोज ने अपने एक यत्र में गवर्नर जनरल भारत को यह संकेत भी दिया था कि यदि सिंधिया कम्पनी–सरकार का सशस्त्र सहयोग नहीं देता है तो हमें अपना बोरिया–बिस्तर भारत से समेटना भी पड़ सकता है।

संभवतः इसीलिए डॉ0 रामविलास शर्मा जैसे सुधी समालोचक और लेखक एवं विचारक ने अपनी पुस्तक "प्रथम स्वतंत्रता संग्रामः नये संदर्भ में यह रेखांकित किया है कि उस संग्राम के वास्तविक सेनानी सामन्त नहीं बल्कि मेरठ के वे वर्दीधारी किसान थे, जिन्होंने कि सर्वप्रथम स्वतन्त्रता की लौं को प्रदीप्त किया था।" यह कथन या टिप्पणी उनकी सत्य में ही सारपूर्ण भी है क्योंकि मेरठ–छावनी में किसानों के जो पुत्र सैनिक बने हुए थे, सर्वप्रथम दिल्ली पर आकर अधिकार उन्होंने ही तो जमाया था।

देशी सामन्त तो बाद में कहीं जनज्वोर के उद्‌बुद्ध होने के पश्चात ही उस जनान्दोलन के साथ जुडे थे। उसका भी प्रमुख कारण यही था कि कम्पनी–सरकार ने ईनाम–कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर ही उनके साज्यक्षेत्रों में भारी कटौती करके उसको अपने ही राज्यक्षेत्र में मिला लिया था। जैसेकि पूर्व का शासक वेनीमाधव था, जिसका तीन–चौथाई राज्य कम्पनी–सरकार ने इसी बहाने से हड़प लिया था। यही व्यवहार अन्य देशी सामन्तों के साथ भी किया गया था। बल्लबगढ़ नरेश नाहर सिंह के पास भी तब सीमित गाँव रह गये थे तो रेवाडी के शासक तुलाराम तो दहाई से भी कम गाँवों का ही जमींदार बनकर बस रह गया था। 87 गाँवों में से केवल दस–पन्द्रह गाँव ही उसके पास शेष बचे थे।

इसीलिए हमें अपने वर्गहितों के लिए संघर्ष सन्नद्ध सामन्तों को ही सारा श्रेय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को नहीं देना चाहिए। अपितु जो देशी सैनिक कम्पनी–सरकार में शामिल थे, उनका विद्रोह वास्तव में ही स्वार्थरहित था। हमारी यह बात इससे भी सिद्ध होती है कि जब स्वतंत्रता संघर्ष की लौ मद्धिम पड़ गई थी तो कितने ही देशी सामन्तों ने अपना पाला भी बाद में बदल लिया था। इसीलिए उनका वर्ग–चरित्र सर्वथा निष्काम और निर्लोभ कहाँ था।

भारत की सारी ऐतिहासिक दृष्टि भी सामन्ती और साथ में साम्प्रदायिक भी कहीं न कहीं रही है। यदि हम लोग मध्यकाल के इतिहास पर भी दृष्टिपात करते हैं तो यही देखते हैं कि वहाँ पर भी यही दोनों वर्ग–दृष्टियाँ प्रबल रूप से प्रभावी ही हैं। यथा, केवल हिन्दू पदशाही की स्थापना में सतत संलग्न होने के ही कारण ही छत्रपति शिवाजी मराठा और मेवाड़ नरेश राणा प्रतापसिंह का अतिरिक्त गर्वगान किया गया है। वरना क्या उनका स्वतंत्रता–संघर्ष नितान्त व्यक्तिगत नहीं था। क्योंकि वे अपने–अपने राज्यों की रक्षार्थ ही तो संघर्ष–सन्नद्ध हुए थे। उस समय राष्ट्र–राज्य तो थे ही कहाँ।

छत्रपति–मराठा शिवाजी पहले बीजापुर गोलकुण्डा की आदिलशाही से संलग्न थे। बाद में मुगलों ने सारे भारत भर पर अपना एकछत्र अधिकार जमाने कौ गरज से ही तो शाहजी भौंसले को अस्त्र–शस्त्र देकर उसके विरुद्ध संघर्ष–सन्नद्ध किया था। जब स्वयं मराठाओं ने एक बडा राज्यक्षेत्र आदिलशाह से जीत लिया था, तभी उसका पुनः सत्ता–संघर्ष मुगल शासकों के साथ हुआ था। फिर कया वे आगरा (मुगल राज्य–केन्द्र में औरंगजेब के साथ सम्मानजनक समझौता करने को भी तो आखिर आये ही थे। जब उनको मुगल–दरबार में यथोचित मानद उपाधि या तीस हजारी का मान्य मसनद् नहीं मिला था, तभी तो उन्होंने बादशाह औरंगजेब के प्रति पुनः विद्रोही 'भाव भंगिमा' अपनाई थी। वह तो गनीमत यह रही कि रामसिंह कच्छवाहे राजा ने अपनी बचनबद्धता का पूर्णतः परिपालन करते हुए उन्हें कारागार रूपी पिंजडे से बाहर निकलने में अपनी कूट सहायता की थी। वरना छत्रपति शिवाजी तो सिंह की माँद में आकर स्वयं ही शिकार बन गये थे। अतएव सहायता की थी। वरना छत्रपति शिवाजी तो सिह की मांद में आकर स्वयं ही शिकार बन गये थे। अतएव नका सत्ता–संघर्ष सदैव समझौता हीन कहाँ था।

इसी प्रकार से राणा प्रतापसिंह का घेरा डाले हुए शाही सैना लगभग छः मास से उदयपुर के दुर्गम दुर्ग पर पडी हुई थी। उसने राणा की सेना की रसद–आपूर्ति को सर्वथा अवरुद्ध ही कर दिया था। अतएवं उनकी सेना का भोजन–राशन और घोड़ों कौ घास तक सर्वथा समाप्ति के ही कगार पर थी। उस विषम परिस्थिति में आत्म–समर्पण या फिर सशस्त्र–संघर्ष के सिवाय शेष उपाय भी क्या था। अतएव राणा प्रताप सिह ने सही समय पर सही निर्णय ही लिया था। इसीलिए आज उनका नाम सम्मानपूर्वक भारतीय इतिहास में अंकित हैं। परन्तु उस दो

सामन्तों के सत्ता–संघर्ष को साम्प्रदायिक स्वरूप देना क्या सर्वथा समुचित होगा।

परन्तु ब्राह्मण पुरोहितवाद और सामन्तवाद का भारतवर्ष में सदैव नामिनाल सम्बन्ध सतत रूप से ही रहता आया है। अतएव ब्राह्मण–पुरोहितों और चारण–भाटों ने उस व्यक्तिगत या राजसत्ता सम्बन्धी संघर्ष को भी एक धार्मिक स्वरूप दे दिया है। क्योंकि इस सब में उनका अपना वर्ग–स्वार्थ शामिल था। इसके विपरीत भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल ने मुगल और मराठाओं के मध्य में होने वाले पानीपत के युद्ध से पूर्व मराठा–सेनापति को यही पावन परामर्श दिया था कि इस संघर्ष को वे बजाय हिन्दू–मुस्लिम के देशी और विदेशी शक्तियों के रूप में ही लडा जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो तब मुगलों और रुहेलों तथा सैय्यद मुसलमानों को भी स्वतः ही मराठाओं के साथ जुडना ही पडता।

परन्तु धर्मान्ध मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने भरतपुर नरेश जैसे नीतीकार की तब एक भी नहीं सुनी थी। अपितु उल्टा उनका अत्यन्त अपमान भी किया था। तथापि नाना फडनबीस और मल्हारराव होल्कर से उचित आश्वासन पाकर वे अपनी दस हजार की सैन्य वाहिनी सजाकर बदरपुर में जाकर शाही सैन्य–शिविर में सम्मिलित हुए थे। जब मराठा सेनापति को यह शुभ समाचार सुनाया गया था, तब उसने गर्वस्फीत होकर यही बुदबुदाया था कि– “अब्दाली से निपटकर बाद में इसको देखूँगा।” बल्कि उसके रिसाले को छीनकर उसे बन्दी बनाने का भी मूर्खतापूर्ण आदेश दे दिया था। तब नाना फडनवीस और मल्हाराव ने अपने वचन–पालना करके उनको रात्रि में ही वापिस बल्लबगढ में उनके दुर्गम दुर्ग में सुरक्षित पहुँचवाया था।

उस मध्यकाल की घोर तमिश्रा में भी राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सदभाव की उज्जवल आलोक वर्तिका को प्रदीप्त करने वाले महाराजा सूरजमल जैसे निर्भीक एवं निरलोंभी सर्वधर्म सद्भाव संस्थापक शासक को इतिहास के इसी सामन्ती संस्कारों ने बह राष्ट्रीय नायक की उज्जवल और अम्लान छवि कहाँ प्रदान भी है जोकि उन्हें मिलनी चाहिए थी। उससे पूर्व भी पुष्कर मेले के उत्तम अवसर पर भरतपुर नरेश ने मुगल–मराठा और राजपूत एवं जाट चारों ही महान शक्तियों को एकता के सूत्र में पिरोने का भी सदप्रयास किया था। परन्तु उस उत्तम अवसर पर राजस्थान के राजपूत राजा ही मराठाओं के नाम से बिदक उठे थे। क्योंकि वे मुगलों के द्वारा संतापित थे। कारण मराठा सेनाएँ प्रतिवर्ष उत्तरभारत की ओर अपना अभियान किया करती थी और जो भी राजा उन्हें खिंडनी नामक कर–भार नहीं देता था, उसी के ऊपर ये या तो युद्ध थोपते थे, या फिर उसका सामाजिक बहिष्कार ही राजन्य वर्ग में करा दिया करते थे।

यथा, उदाहरण स्वरूप एक बार जयपुर के शासक ईश्वरीसिंह ने मराठा–पेशवाओं को वह आरोपित कर नहीं दिया था। उसी समय उसकी एक राजकुमारी वर जोग भी हो चली थी। वह उसका विवाह–सम्बन्ध मेवाड के राजकुल के राजकुमार के साथ जोडना या करना चाहते थे! चित्तौड के राणा भी तब तक मराठाओं को भी कर देते नहीं थे। अतएव उन्होंने ईश्वरीसिंह पर यही दबाव बनाया था कि वे अपनी राजकुमारी की सगाई उनको कर देने वाले जोधपुर के राज–परिवार में ही करें। जबकि स्थिति यह थी कि जयपुर राजपरिवार की रानियाँ उसी राठौर राजकुल से सम्बन्धित थी। महाराष्ट्र में तो भाउ्जा अपनी ममेरी बहन के साथ ब्याह रचा सकता था। परन्तु उत्तर भारतीय राजपूतों और जाटों में वैसी रीति कहाँ थी।

अतएव जयपुर नरेश की राजकुमारी का विवाह–सम्बन्ध जब मराठाओं ने ठीक नहीं होने दिया था, इसी जयपुर नरेश महाराज ईश्वरी सिंह ने हीरे की कणी खाकर आत्महत्या ही कर ली थी। ये ईश्वरी सिंह वही थे, जिनके राज्यरोहण के लिए महाराजा सूरजमल ने सात–सात महान महारथियों को मोती–डूंगरी के मैदान में एक ही साथ धूल चटाई थी।

इसी प्रकार से सिक्ख गुरुओं के विरुद्ध मुगल–शासकों के अत्याचारों का वर्णन अतिश्योक्तिपूर्ण भी रहता है। गुरू गोबिन्द सिंह ने आनन्दपुर साहिब में अपना विधिवत रूप से राजद्रबार सजाना शुरू कर दिया था। उनका अपना ही मन्त्रिमण्डल पंच–प्यारों के रूप में था। सेनापति और पद्माकर जैसे रीतिकालीन श्रृंगारी कवि उनके राजदरबार की शोभा को बढाते थे। और तो क्या, पर्वतीय प्रदेश की किसान प्रजा बजाय राजपूत–राजाओं के उन्हीं को अपना भू–राजस्व भी अदा करने लगी थी। जब दिल्ली–दरबार ने भरमौर और सिरमौर, विलासपुर एवं कांगडा के राजाओं से भूमिकर में कमी का कारण जानना चाहा था तो उन्होंने यही बताया था कि पहाडी किसान बजाय उन्हें भूराजस्व देने के वे दशमेश पादशाही गुरु गोबिन्द सिंह के राज–दरबार के प्रति ही अपनी उन्मुक्त आस्था का अतीव प्रदर्शन कर रहे हैं। तभी दिल्ली के मुगल–दरबार ने धर्मगुरू से शासक बने हुए गोबिन्द सिंह के विरुद्ध अपना सैन्य–संघर्ष आरम्भ किया था।

यहाँ पर यह ज्ञातव्य हैं कि चमकौर–साहिब के रवितम सत्ता–संघर्ष में दिल्ली की शाही सैन्य–वाहिनी के साथ दसियों पर्वतीय शासकों की भी सेनाएँ सम्मिलित थी। अतएब उस युद्ध को भी कोरा धार्मिक संघर्ष कैसे कहा जा सकता है। केवल कोरे सिक्ख धर्म के प्रचार–प्रसार से भला मुगल शासन को क्या समस्या हो सकती थी। राजाओं का मूल स्वभाव धनार्जन का ही रहता है, धन उनके लिए गौण वस्तु ही है। अतिरिक्त धन–संचय से ही–तो वे धार्मिक कार्य–कलाप मन्दिरों या बावडियों का नवनिर्माण करा सकते थे।

यहाँ पर एक बात विशेषरूप से ज्ञातव्य है कि संयुक्त प्रान्त के अंग्रेज गवर्नर सर स्लीमैन ने अपनी व्यक्तिगत डायरी में यही रेखांकित किया है कि जहाँ पर अन्य देशी राजाओं ने धार्मिक पुरोहित वर्ग की परम प्रशंसा पाने के लिए ही मंदिरों का निर्माण अधिक कराया था। वही शासक अंग्रेज–कम्पनी सरकार के सम्मुख संघर्ष में शिथिल सिद्ध हुए थे। परन्तु भरतपुर नरेशों ने बजाय मन्दिरों और घाटों के अपने दुर्गम दुर्गों की सुदृढ़ता पर अतिरिक्त ध्यान दिया था। इसलिए वही विश्व–विजेता कम्पनी–सरकार की सैन्यवाहिनी के सम्मुख सदैव अपराज्य ही सिद्ध हुए थे। अतः एव हमें धार्मिक या साम्प्रदायिक विवादों से ऊपर उठकर आज एक स्वरूप राष्ट्रीय इतिहासबोध की अति आवश्यकता है।

Real brothers who fought in the real war during 1965 India-Pakistan War

- SUMITRA DABAS

Soldiering has always been in our blood. My grandfather Risaldar Molad Ram, a cavalry man with 14th Murray's Jat Lancers, fought in First World War, also called The Great War, and came home victorious. My two Tauj is (elder uncles) were part of British Indian Army during Second World War. My three cousins were part of live action in Indian Army's wars fought in 62 and 65. My brother actively participated in 1971 Indo Pak war, as well as in 1999 Kargil conflict and my two bhateejas (brother's sons) are in Infantry, making them fourth generation soldiers. Even now, in a day & age when national service is not really looked up, our extended family is represented in the Military by at least one member, entirely by choice. It is rare that two brothers form part of an attacking platoon and that too in a battle that was first fought with guns and grenades, then with bayonets and finally with bare hands, on the dark night of 21 / 22 Sep 1965 between Pakistan's 16 Punjab Battalion (heavily defended) and 3rd Jat Battalion of Indian Army, out in the open but with extraordinary grit. Yes, it happened during the final assault on Dograi. The battle of Dograi is considered one of the bloodiest battles fought and won by an Infantry battalion of Indian Army against all possible odds. During that night the courageous and daring Jats of Third Battalion did something which till then was considered by many as impossible. But then Jats are Jats. The two brothers - my cousins - were Company Havildar Major Hari Chand (elder) and ten years younger Lance Naik Samandar Singh, both in Charlie Company of Third Battalion of The Jat Regiment.

Dograi is a small Pakistani Town across the IB on Amritsar - Lahore road, and gateway to Lahore, just 13 kms north-west of it. By virtue of its strategic location, it was very heavily defended. Ichchogil canal, itself a formidable water obstacle, divides the town in two halves. 54 Infantry Brigade of India's 15 Infantry Division was tasked to capture Dograi. Earlier two very earnest attempts by 15 Dogra and 13 Punjab of the same Brigade failed to make any headway. 3rd Jat Battalion was then tasked to capture Dograi. (Below is the English version of firsthand account of the younger brother of how the most glorious moments of his twenty eight years army life unfolded).

"In the early morning hours of 21 Sep 1965, our Commanding Officer Lt Col Desmond Hayde (Hayde Sahab) addressed the Battalion Officers, Junior Commissioned Officers, Company Havildar. Majors and the Artillery Forward Observation Officer near village Santpura about four KM short of Dograi. He did not speak for long. His belief in his Paltan was total. He only made the fats realize their potential. He summed up his address without mincing his words "Ek bhi aadmi peechhe nahin hatega, zinda ya murda. Dograi mein milna hai (not a single man will step back, dead or alive. We will meet at Dograi)."

We formed up southeast of Santpura after dusk. Hari Chand Bhai sahib was our platoon commander. The advance commenced at about 8 PM We waded through wet paddy fields 6- it took us nearly four hours to reach the assault line undetected. It was then past midnight. All drills had been rehearsed many times over during day light hours. We stood in extended line and waited for the word to attack. Don't know how the enemy sensed our presence and fired 2 inch mortar illuminating bombs and Verey light pistols flood lighting the entire battle ground. I saw the enemy bunkers just about 100 yards ahead. I also noticed that Bhai sahib was about 5 feet on my left andftlt reassured. The enemy opened up with all available automatics. Not to get caught as standing targets, there was an instant shout, the battle cry "fat Balwan Jai Bhagwan" and the fats charged only to assemble together again at captured Dograi. The enemy's automatics rained bullets. Some Balwan fats fell,. few got up and continued the charge. Bhai sahab had an athletic built and was few paces ahead. Halfway he fell to enemy fire. I saw him fall but I continued. Hayde sahab words were loud and clear and Dograi was within reach. Within seconds we were onto the enemy's forward defenses. We destroyed bunkers with pole charges, lobbed hand grenades and forced Baluchis to come out. Some fled but a lot many gave us a good fight. It became a melee and then began intense and severe hand to hand fighting - the dog fight - to retain that ground so dearly captured. This hand to hand combat continued for more than two hours. Just before dawn, the success signal in the form of green light fired from a Verey light pistol was seen in the sky up above. Dograi was ours. The fats of Third Battalion did not fail their Hayde Sahab. By the end of battle, 308 Baluchi soldiers lay dead. Another 115 were captured alive (including officers JCOs, along with Lt Col Golwala, the CO of 16 Punjab, and his Artillery Battery Commander.

The aftermath of an intense battle is confusion. In that twilight period I forgot about my brother. It was only after about a week that I came to know that Bhai Sahab was seriously injured during the final

assault and was being treated at Base Hospital Delhi Cantt. Intrepid soldier that he was, he rejoined the Battalion a month after treatment and discharge from hospital. Later, I came to know that Hari Chand Bhai Sahab was recommended by Hayde Sahab for the award of Vir Chakra but was awarded a Mentioned-in-Dispatches instead and was also promoted to the rank of Naib Subedar."

The brave Jats had proved their mettle, upholding the finest standards of soldiering, dedication to military service and to the nation. For its gallant actions, the Battalion was awarded Three Maha Veer Chakras (including Lt Col Desmond Hayde), four Veer Chakras, seven Sena Medals, twelve Mentioned - in - Dispatches, and eleven COASs Commendation Cards - the highest tally for any unit of the Indian Army before or since - and the Battle Honor of " DOGRAI ".

The foundation stone for this resolve and test of battle was laid in the semi-mountainous areas of Palampur (Himachal Pradesh) some two years earlier when the Battalion was put through rigorous training, battle hardening, and actual physical conditioning by then Battalion second- in- command Major Badan Singh, a no-nonsense soldier who had fought along with the Jats in Burma (1943-45), and was committed entirely to honing the Battalion's war fighting skills - this proverbial "shed sweat in peace to save blood in war" proved every bit. Desmond Hayde was then the Battalion Adjutant and learnt the art of war, skill of leading the Balwan Jats and developing a deep camaraderie, so essential in battle by Major Badan Singh.

PS. The elder brother Naib Subedar Hari Chand, M in D, who was later commissioned as a Special List Officer, retired as Lt Col in 1991, and passed away peacefully in Feb 95. The younger, Honorary Captain Samandar Singh, hung up his uniform in 1988 and now lives in Rohtak.

प्रतिभा और आरक्षण - आओ विचार करें

– रजनी दिसोदिया, दिल्ली विश्वविद्यालय

बच्चे मिट्टी के खिलौने बना बनाकर खेल रहे थे। एक ने बड़ी सी हवेली बनाई और उसके सामने मिट्टी के दो घोड़े बनाकर रखे। गर्व से दूसरे बच्चों की ओर देखते हुए उसने कहा– ये मेरी हवेली होगी और इन घोड़ों के रथ पर बैठकर मैं रोज सुबह सैर को जाऊंगा। उत्साहित हो दूसरे ने दो बैल बनाए और दो गाय बनाईं और बोला कि ये मेरे बैल मेरा खेत जोतेंगे और ये मेरी गाय ढेर सारा दूध देंगी। तीसरा जो अभी तक उन दोनों को देख भर रहा था, वह भी सक्रिय हुआ। उसने मिट्टी की छोटी सी हंडिया बनाई और बोला– ये मेरी हंडिया होगी जिसमें मैं तुम्हारे घर में छाछ (मट्ठा) मांगने आऊंगा। उसका यह कहना था कि पास ही खेत पर मजदूरी करते उसके पिता ने उसके कान पर थप्पड़ लगाते हुए कहा . नालायक, तू मिट्टी से भी हाथी, घोड़ा, बैल नहीं बना सका? बच्चा रुंआसा हो अपने पिता का मुंह ताकने लगा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान द्वारा सरकारी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में दलितों के लिए आरक्षण का जो प्रावधान रखा गया उसके पीछे दलितों की अत्यंत निम्न आर्थिक स्थिति तो एक बड़ा कारण थी ही, किंतु पुश्त दर पुश्त हजारों वर्षों से चली आ रही इस आर्थिक दुरावस्था के अतिरिक्त लंबे समय से हो रहा सामाजिक व सांस्कृतिक शोषण भी, आरक्षण के लिए एक बहुत बड़े कारण के रूप में स्वीकार किया गया था। जिसने इनकी कल्पना तक के पर भी कतर दिए थे इस शोषण ने उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति को उनकी चेतना में इस कदर बैठा दिया था कि वे स्वयं भी सहज रूप से इसके परे नहीं देख सकते थे। गरीबी और जहालत से उनका चोली–दामन सा रिश्ता बन गया था। वैज्ञानिक सत्य है कि कल्पना का भी कोई न कोई ठोस आधार होता है। आकाश में उड़ते पंछियों को देखकर ही मनुष्य ने वायुयान की कल्पना की थी।

हम एक अन्य उदाहरण लेते है ! भारत विभाजन (1947) के समय भारी संख्या में पंजाबी रिफ्यूजी पाकिस्तान से भारत आए और देश के अलग–अलग हिस्सों में बस गए। किसी तरह जान बचा कर भागे ये लोग अपनी बड़ी–बड़ी हवेलियाँ, दुकानें, बसा–बसाया व्यापार, चल–अचल संपत्ति सभी कुछ गंवाकर अचानक सड़क पर आ गए। आज मात्र सत्तर वर्ष पश्चात ये लोग उसी मुकाम पर दोबारा पहुंच चुके हैं जिसे गंवाकर ये भारत आए थे। कैसे ? क्या सिर्फ इसलिए कि वे बहुत मेहनती और प्रतिभावान लोग थे? नहीं। निश्चित उनकी मेहनत और लगन एक बड़ा कारण तो है पर साथ ही यह भी समझने वाली बात है कि ये जानते थे कि इन्हें कहां जाना है, क्या पाना है। अपनी मंजिल को इतने करीब से देखने और महसूस करने के कारण और उस तक पहुंचने के समस्त रास्तों से पूर्व परिचित होने के कारण इन्हें जरूरत सिर्फ पैर टिकाने भर की थी। ऐसे में साधन की कमी कोई बहुत बड़ी कमी नहीं रह जाती।

दलितों ने अपने आस–पास, अपने साथ युगों से जिस माहौल को देखा और भोगा वह कहीं भी किसी तरह उनके लिए प्रेरणादायक नहीं था। उनकी स्मृति में कोई ऐसे चित्र ही न थे, जब उनके यहां धन–धान्य की वर्षा होती थी। उन्होंने अपने बाप–दादाओं, दादाओं–परदादाओं को हमेशा बेगार करते, मजदूरी करते किसी के यहां हल चलाते ही देखा था। वे भी समाज की बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण इकाई होते थे, यह एहसास तो कभी सपने में भी उन्हें नहीं हुआ। और तो और, जब आदर्श राज–व्यवस्था माने जाने वाले 'राम–राज्य' में भी उनके हित सुरक्षित नहीं थे तो बात ही किसकी की जाए। उस बालक ने जब अपने मुहल्ले के किसी घर में गाय, बैल, घोड़ा कभी देखा ही नहीं तो वह कैसे कल्पना करे कि उसके पास भी गाय, घोड़ा, बैल भी हो सकता है। वह भी कभी हवेली का मालिक हो सकता है। जिसे आज भी शादी वाले दिन भी घोड़ी पर बैठने नहीं दिया जाता वह घोड़ा बनाकर सैर करने जाने का दंभ कैसे

भरे। यह बदलाव तो धीरे–धीरे ही होना है। उसके भीतर का जो यह घाव है उसे भरने में समय लगेगा। जब समाज उसे यह एहसास कराएगा कि कोई छोटा–बड़ा नहीं है। वह आज जो पिछड़ा है वह इसलिए नहीं कि उसमें कुछ कम योग्यता या कम मेहनत करने का माद्दा है। वह इसलिए कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां कुछ इस तरह बनीं और बदलीं कि समाज की कुछ जातियां विकास की राह में पीछे रह गईं। पर हो बिलकुल इससे उलटा रहा है। दलितों के प्रति सदियों से कायम हीनताबोध का रवैय्या आज तक कायम है। जो उनकी उन्नति में बाधक बना हुआ है। जो जाति का पता लगते ही उस पर अयोग्यता का ठप्पा लगा देता है। हम सब जानते हैं कि भारत देश जिसे हम आज जिस रूप में जानते और पहचानते हैं वह उसी रूप में 1947 से पूर्व नहीं था। एक लोकतांत्रिक सरकार जिस पर अपने लोगों को नागरिक सुविधाएं देने, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का खयाल करने का उत्तरदायित्व होता है, वह उत्तरदायित्व पहले की शासन व्यवस्थाओं के शासकों पर नहीं था। इसलिए इन सब कामों को किसी भी तरह समाज स्वयं ही हल करता था। पूरा समाज सामाजिक और आर्थिक संगठन के रूप में जातियों में बांटा था और ये संगठन अपने–अपने समूह के लिए इन उत्तरदायित्वों का स्वयं वहन करते थे। समय–समय पर विभिन्न बाह्य और आंतरिक उठापटक के चलते इन समूहों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती या बदल जाती थी। भारत में मुगलों के पतन और अंग्रेजों के आने के बाद इस सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में आमूल–चूल बदलाव आया। उद्योगों और कृषि दोनों का ह्रास हुआ। उद्योगिकीरण और अंग्रेजो की आर्थिक नीतियों के कारण कुछ जातीय समूहों की स्थिति तेजी से बिगड़ी और बदली। कुछ जातियों का पेशेगत एकाधिकार उनसे छिन गया। नए पेशों और रोजगारों के लिए जिस आर्थिक सहायता और वांछित कुशलता की आवश्यकता होती है उसके अभाव में वे जातियां निरंतर गरीबी और अभाव के दलदल में फंसती चली गईं। मजबूरी में जो काम (मजदूरी और मैला उठाने वाला) हाथ आया वही करने लगी। दूसरी ओर उन जातियों ने जिन्हें मुगलों के पतन और अंग्रेजों के आने से फायदा हुआ था, (ब्राह्मण, राजपूत, जमींदार, कायस्थ इत्यादि) की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति निरंतर सुदृढ़ होती गई। भारतीय समाज में विभिन्न जातियों की यह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति लंबे समय तक लगातार बनी रही। यह वही समय था जब विभिन्न चीजों का दस्तावेजीकरण प्रारंभ हुआ। जनगणना, विभिन्न प्रकार के सर्वे, अखिल भारतीय स्तर पर इसी समय प्रारंभ हुए। इस समय के भारत की विभिन्न आधारों पर जो तस्वीर लिपिबद्ध की गई उसे ही स्वतंत्र होते भारत में शाश्वत सत्य मान लिया गया। दलितों के दिमाग में भी वही तस्वीर घर कर गई जो उन्होंने पिछले दो सौ–ढाई सौ सालों से देखी थी। एक ओर उनका तो आत्मविश्वास बैठ गया दूसरी ओर उन जातियों ने जिनके हित मुगलों के पतन के बाद पुष्ट हुए थे, जिन्होंने अंग्रेजों के आने से फायदे उठाए थे वे आत्म अभिमान में इतनी भर गई थीं कि वे मानने लगीं कि वे तो हमेशा से ही इतनी सत्ताशाली स्थिति में थीं। इस स्थिति को हमेशा बनाए रखने के लिए यह जरूरी था कि यह बात सिद्धांत के रूप में फैलाई जाए कि एक जाति से दूसरी जाति में स्थानांतरण नहीं हो सकता। निम्न जातियों के लोग जन्मना ही बुद्धिहीन, कामचोर और बेईमान होते हैं इसलिए वे उन कामों व पदों के लायक ही नहीं हैं जिन पर सवर्ण इस समय विराजमान हैं। इसी समय इन जातियों को शूद्र व अतिशूद्र की श्रेणी मे डाल कर उन पर वे सब बंधन थोप दिए गए जो मनु समृति जैसी पुस्तकों में कभी लिखे गए थे। जबकि इन तमाम स्मृतियों– संहिताओं की ऐतिहासिकता स्वयं सवालों के दायरे में है।

शेष अगले अंक में

वैवाहिक विज्ञापन

- SM4 Jat Girl (DOB 25.06.98) 24/5'3" B. Com, M.Com. Pursuing PhD. In Commerce (Finance) from a reputed University. Remained NCC Candidate and attained rank of U/o and qualified B & C certificates with A Grade. Father Professor in a State University. Mother well educated housewife. Army background family. Family settled at Kurukshetra. Avoid Gotras:Taxak (Tokas), Sulkh, Dhankad. Cont.: 9416782444.
- SM4 Jat Girl 26/5'11" MA, B.Ed. Employed as teacher in private school at Panchkula. Father Ex-service man. Mother housewife. Family settled at Zirakpur (Punjab). Avoid Gotras: Dalal, Kadiyan. Cont.: 8054064580
- SM4 Jat Girl (DOB 25.10.92) 29/5'4" B.Tech. (Electrical & Communication). Employed in Bel. Company on contract basis. Family settled at Pinjore. Avoid Gotras: Dhayal, Punia, Phogat. Cont.: 9416270513
- SM4 Jat Girl (DOB 02.09.90) 32/5'5". MBA in International Business from University Business School, P.U. Chandigarh. Employed as Deputy Collector in Irrigation Department in Head Office Panchkula. Avoid Gotras: Kadyan, Hooda. Cont.: 9468269712
- SM4 Jat Girl (DOB 1988) 34/5'3". MA (Economics Hons.), PhD. (Economics), NET/EILETS cleared. Employed in Niti Aayog New Delhi. Father class-II officer retired from Haryana Govt. Brother married and settled in USA. Avoid Gotras: Dahiya, Sehrawat, Jatrana. Cont.: 9988224040
- SM4 Jat Girl (DOB 03.10.97) 24/5'3". BDS from JCD Vidyapeeth Sirsa. Doing job in Dental Clinic, Julana. Avoid Gotras: Sehrawat, Redhu, Rose: Cont.: 9463188162
- SM4 Jat Girl (DOB 08.12.92) 31/5'2" B. A. (Arts.), M.A. (Hindi), HTET, CTET, PTET, PGDCA from Hartron. Employed as Data Entry Operator in Town & Country Planning Department on contract basis. Family settled at Panchkula. Avoid Gotras: Siwach, Shehrawat, Maan. Cont.: 9417097248
- SM4 Jat Girl (DOB 19.12.95) 26/5'3" B.Tech. (Mechanical Engineering). Working as Senior Engineer in MNC Gurugram with Rs. 7 lakh package PA. Avoid Gotras:Dhankhar, Hooda, Nandal. Cont.: 9465529776
- SM4 Jat Girl (DOB 07.01.92) 30/5'4" B.A. from Kurukshetra University. GNM from Pt. Bhagwat Dayal University Rohtak. Employed as Staff Nurse in Government Hospital Sector 6 Panchkula on contract basis. Family settled at Pinjore. Preferred match from Tri-city. Avoid Gotras:Bankura, Mann, Narwal. Cont.:

9354839881

- SM4 Jat Girl (DOB 13.10.91) 29/5'5" BA, LLB (Hons.), LLM in Criminal Law, Diploma in Labour Law, Diploma in Administrative Law, Ph.D in International law. Employed in Education Department, Haryana. Avoid Gotras: Malik, Deswal. Cont.: 9417333298
- SM4 Jat Boy (DOB 28.04.96) 26/6'2" Captain in Army. BSC Chemistry from NDA. B. Tech. from CME in Pune. Father's own business of Transport at Chandigarh and Nagpur. Mother housewife. Only child. Avoid Gotras: Dhull, Nehra, Sheoran. Cont.: 9878705529.
- SM4 Jat Boy (DOB 19.03.92) 30/6 feet. B. Tech Mechanical Engineering. Diploma in Sound Engineering. BTEEC Certificate in Music Technology from Point Blank Music School London. Currently working: free lancing. Avoid Gotras: Kajal, Khatkhar, Khatri. Cont.: 9466954276.
- SM4 Widower with two kids Australian Citizen Jat Boy. Age 44 years. B. Tech., Pilot. Well settled in Melbourne, Own multiple business. Parents settled at Panchkula. Avoid Gotras: Nain, Solanki, Dalal. Cont.: 61401377715, 9872044466.
- SM4 Jat Boy 29/5'10" B. Tech. CSE. Working in I.T. Company at Chandigarh. Family settled at Zirakpur (Punjab). Avoid Gotras: Dalal, Kadiyan. Cont.: 8054064580.
- SM4 Jat Boy (DOB 12.06.95) 27/5'5" B. Tech. (Urban & Regional Planning) & M. Plan (Master in Urban Planning) both from Guru Nanak Dev University Amritsar. Employed as Assistant Town Planner (ATP) on contractual basis in Govt. office Haryana. Father Haryana Govt. employee at Chandigarh. Mother working in a reputed private school at Chandigarh. One younger brother (Transport Planner) working as Senior Project Scientist at IIT Delhi. Family settled at Chandigarh. Avoid Gotras: Bilam, Pannu, Malik. Cont.: 9417838725.
- SM4 Jat Boy (DOB 1986) 36/5'11" L.L.B. & L.L.M. from Kurukshetra University, Ph.D. from Punjab University Chandigarh. Own well established business in Bhiwani. Both parents retired from Government service. Avoid Gotras: Sangwan, Nehra, Legha. Cont.: 9888911945, 0172-560266.
- SM4 Jat Boy (DOB 25.12.94) 27/5'8" BA, LLB from Punjab University Chandigarh. Father HAS class-II (Rtd.). Mother housewife. Own house at Zirakpur (Punjab), Hotel/Show Room/ Income/crore/year. Agriculture land and own house at village. Avoid Gotras: Balyan, Deswal, Pannu. Cont.: 9216886705
- SM4 Jat Boy (DOB 09.07.98) 24/5'6" B. A. Employed as Office Assistant in Reserve Bank of India Chandigarh. Gotras: Mor, Ahlawat, Duhan, Lathar. Cont.: 9992255577.
- SM4 Jat Boy (DOB 26.12.97) 24/6'1" B.Sc. M.A., Employed as Taxation Inspector in Government of India at Rohtak. Gotras: Siwach, Dagar, Phogat. Cont.: 7696176288.
- SM4 Jat Boy (DOB 09.09.97) 24/6 Feet. B. Tech. (Computer Science), MBA. Employed as Software Engineer in Rocket Software, Pune with package of Rs. 16 lakh+ PA. Father retired as Supervisor from HMT Ltd. Pinjore. Mother housewife. Family Business Coaching Institute at Pinjore (Haryana) with Rs. 31 lakh PA. Avoid Gotras: Bankura, Maan. Cont.: 9354839881
- SM4 Jat Boy (DOB 17.10.89) 32/6 Feet. B. Tech. (Computer Science). Employed as Inspector (GST & Central excise) at GST & Excise Commissionerate Surat (Gujrat), Ministry of Finance, Govt. of India with Rs. 80,000 P.M. .Father retired Superintendent. Mother housewife. Area preferred Panchkula, Chandigarh. Yamuna Nagar, Kurukshetra, Karnal, Hisar. Girl height minimum 5'6" between 25 to 27 years age. Avoid Gotras: Malik, Jattan, Punia. Cont.: 9996858234.
- SM4 Jat Boy (DOB 03.11.91) 30/6'2" B.Com. Pune University, MBA (Finance)-Symbiosis Institute of Management Studies. Current Job-Customer Success, South India with Mainstay People Consulting working on Implementation of Darwin Box HRIS System. Monthly income Rs. 60000. Father's own business, Rental Income Rs. 2 lakh PM. Mother housewife. Avoid Gotras: Dahiya, Sehrawat, Dhankhar. Cont.: 7385704181
- SM4 Jat Boy (DOB 19.08.93) 29/5'11" BA, LLB, LLM, Diploma in Cyber Crime. Employed as Senior Legal Executive in Shri Ram General Insurance Co. Delhi with Rs. 5 lakh PA. Father District Attorney retired. Mother in ICDC Department. Avoid Gotras: Deswal, Saharan, Lather. Cont.: 8950099659
- SM4 Jat Boy (DOB 17. 08. 95) 26/6'1" B. Tech. (CSE). Working as Software Engineer in MNC at Pune with Rs. 15 lakh PA. Father Officer in Agriculture Department Haryana. Family settled in own house at Kurukshetra. Avoid Gotras: Tomar, Teotia. Cont.: 9466262234
- SM4 Jat Boy (DOB 02.11.93) 28/5'9" LLB from Delhi University. Practicing as Advocate in Punjab & Haryana High Court. Parents in Government job. Own house at Panchkula and Chandigarh. Avoid Gotras: Joon, Dahiya, Dalal. Cont.: 9466767399

शोक संदेश

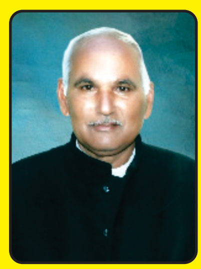

जाट सभा चण्डीगढ़, पंचकूला एवं चौ० छोटूराम सेवा सदन कटरा–जम्मु के वरिष्ठ आजीवन सदस्य श्री मोहिन्द्र सिंह लाकड़ा का लम्बी बीमारी के उपरांत 13 अक्तुबर 2022 को स्वर्गवास हो गया। स्व० मोहिन्द्र सिंह लाकड़ा मूलरूप से गांव मुडंका, दिल्ली प्रदेश के निवासी थे और वर्तमान में अपने निवास कबीर पंथी मोहल्ला, पिंजौर में रहते थे। स्व. लाकड़ा जी स्वच्छ छवि, मिलनसार, मृदु भाषी, कर्मठ–कठिन परिश्रमी व ईमानदार छवि के धनी थे जोकि विख्यात पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग, एच.एम.टी. पिंजौर, पंचकूला से तकनीकी सुपरवाईजर के पद से सेवानिवृत थे। वे समाज सेवा व जनहित के कार्यों में सदैव बढ़ चढ़ कर योगदान देते रहे। जाट सभा चण्डीगढ़ द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक व कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में उनका सराहनीय योगदान रहा है। एच.एम.टी. में सर्विस के दौरान सदैव कर्मचारियों व वर्करों के सम्मान व कल्याण के लिए प्रयास करते रहे। स्व. लाकड़ा जी किसान, काश्तकार व मजदूर वर्ग के हितों से जुड़े इण्डियन नैशनल लोकदल के वरिष्ठ समर्पित व वफादार कार्यकर्ता रहे है और पार्टी स्तर पर सदैव ग्रामीण समाज के जरूरतमंद व गरीब तबके की समस्याओं को उजागर करते रहे। उनके परिवार में धर्मपत्नी श्रीमति कृष्णा लाकड़ा के ईलावा दो विवाहित बेटे है।

जाट सभा का समस्त परिवार दिवगंत आत्मा को प्रभु चरणों में स्थान देने तथा शोक–सत्पंत परिवार के सभी सदस्यों को इस असहनीय आघात को सहन करने हेतु नैतिक साहस प्रदान करने के लिये परमपिता परमेश्वर से अरदास करता है।

कार्यकारिणी
जाट सभा चण्डीगढ़/पंचकूला

आर्थिक अनुदान की अपील

आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि जाट सभा चंडीगढ़ द्वारा 6 जून 2019 को गांव कोटली बाजालान-नोमैई कटरा जम्मु में जी टी रोड़ पर 10 कनाल भूमि की भू-स्वामी श्री संतोष कुमार पुत्र श्री बदरी नाथ निवासी गांव कोटली बाजालान, कटरा, जिला रियासी (जम्मु) के साथ लंबी अवधि के लिए लीज डीड पंजीकृत की गई है। इस भूमि का इंतकाल भी 6 जुलाई 2019 को जाट सभा चंडीगढ़ के नाम दर्ज हो गया है। इस प्रकार इस भूमि पर जाट सभा चंडीगढ़ का पूर्ण स्वामीत्व स्थापित हो चुका है। बिल्डिग के मजबूत ढ़ांचे/निर्माण के लिये साईट से मिट्टी परीक्षण करवा लिया गया है और बिल्डिंग के नक्शे/ड्राईंग पास करवाने के लिये सम्बन्धित विभाग में जमा करवा दिये गये है। इसके अलावा जम्मु प्रशासन व माता वैष्णों देवी साईन बोर्ड कटरा को यात्री निवास साईट पर जरूरी मूल भूत सार्वजनिक सेवायें - छोटे बस स्टैड़, टू-व्हीलर सैल्टर, सार्वजनिक शौचालय, वासरूम, पीने के पानी का स्टाल आदि के निर्माण हेतु पत्र लिखकर निवेदन किया गया है। यात्री निवास स्थल पर ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी (बी.डी.पी.ओ.) कटरा द्वारा सरकारी खर्चे से दो महिला एवं पुरूष स्नानघर व शौचालय का निर्माण किया जा चुका है।

यात्री निवास भवन का शिलान्यास व दीन बंधु चौधरी छोटू राम की विशालकाय प्रतिमा का अनावरण 10 फरवरी 2019 को बसंत पंचमी उत्सव एवं दीन बंधु चौधरी छोटूराम की 136वीं जयंती समारोह के दौरान महामहिम राज्यपाल, जम्मु काश्मीर माननीय श्री सत्यपाल मलिक द्वारा तत्कालीन केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीएमओ डा0 जितेंद्र सिंह व जाट सभा के अध्यक्ष एवं हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक डा0 एम एस मलिक, भा0पु0से0 (सेवा निवृत) की उपस्थिति में संपन्न किया गया।

यात्री निवास भवन एक लाख बीस हजार वर्ग फुट में बनाया जाएगा जिसमें फैमिली सुईट सहित 300 कमरे होगें। भवन परिसर में एक मल्टीपर्पज हाल, कांफ्रैंस हाल, डिस्पैंसरी, मैडीकल स्टोर, लाईब्रेरी, बच्चों की प्रतिभा विकास एवं विभिन्न व्यवसायिक व सुरक्षा संबंधी सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग की विशेष सुविधाएं उपलब्ध होगीं। सुरक्षा सैनिकों, शहीद परिवारों व उनके आश्रितों के लिए मुफ्त ठहरने तथा माता वैष्णों देवी के श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगीं। यात्री निवास के निर्माण के लिये श्री राम कंवर साहु सुपुत्र श्री पूर्ण सिंह, गांव बीबीपुर जिला जीन्द (हरियाणा), वर्तमान निवासी मकान नं0 110 सुभाष नगर, रोहतक द्वारा 5,11,111/- तथा श्री सुखबीर सिंह नांदल, निवासी मकान नं. 426-427, नेमी सागर कालोनी, वैशाली नगर, जयपुर द्वारा 5,01,000 रुपये तथा श्री देशपाल सिंह निवासी मकान न0 990, सैक्टर-3, कुरूक्षेत्र (हरियाणा) द्वारा 5,00,000 रुपये की राशि जाट सभा, चण्डीगढ को दान स्वरूप प्रदान की गई है।

आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस कल्याणकारी व पुनित सामाजिक कार्य के लिए स्वेच्छा अनुसार शीघ्र अनुदान देने की कृपा करें ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके जोकि आज सभी के सहयोग से ही संम्भव हो सकेगा। यदि कोई दानी सज्जन यात्री निवास में कमरे के निर्माण हेतू 5 लाख रूपये या इससे अधिक की राशि दान देता है तो उसका नाम भवन परिसर में उचित स्थान पर अंकित किया जाएगा और उसे भवन में आजीवन मुफ्त ठहरने की सुविधा प्रदान की जाएगी। जम्मु काश्मीर के भाई-बहन व दानवीर सज्जन इस संबंध में चौधरी छोटु राम सेवा सदन के अध्यक्ष श्री सर्बजीत सिंह जोहल (मो0नं0 9419181946), श्री भगवान सिंह उप प्रधान (मो0नं0 8082151151) व केयर टेकर श्री मनोज कुमार (मो0नं0 9086618135) पर संपर्क कर सकते हैं। यात्री निवास भवन के लिए अनुदान देने वाले सज्जनों का उचित विवरण रखा जाएगा और उनका नाम जाट सभा द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'जाट लहर' में भी प्रकाशित किया जाएगा। भवन निर्माण की अनुदान राशि चैक, डिमांड ड्राफट द्वारा 'जाट सभा चंडीगढ़' के पक्ष में जाट भवन 2-बी, सैक्टर 27-ए, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ में भेजी जा सकती है अथवा आर टी जी एस की मार्फ त सीधे जाट सभा के बचत खाता नंबर 50100023714552, आईएफएससी कोड- एचडीएफसी 0001324 में ट्रांसफर की जा सकती है। अनुदान की राशि आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के तहत आयकर से मुक्त है।

निवेदक : कार्यकारिणी जाट सभा चंडीगढ़/पंचकुला,
चौधरी छोटू राम सेवा सदन, कटरा, जम्मू

सम्पादक मंडल

सरंक्षक एवं सम्पादक : डा. एम.एस. मलिक, आई.पी.एस. (सेवानिवृत)

सह–सम्पादक : डा॰ राजवन्तीमान

साज सज्जा एवं आमुख : श्री आर. के. मलिक

प्रकाशन समिति : श्री बी.एस. गिल, मो० : 9888004417
श्री जे.एस. ढिल्लो, मो० : 9416282798

वितरक : श्री प्रेम सिंह, कार्यालय सचिव, जाट भवन, चण्डीगढ़

जाट भवन 2–बी, सैक्टर 27–ए, चण्डीगढ़

फोन : 0172–2654932, 2641127

Email: jat_sabha@yahoo.com; Website: www.jatsabha.org

सर छोटूराम जाट भवन, सैक्टर–6, पंचकूला

फोन : 0172–2590870, Email: jatbhawan6pkl@gmail.com

चौधरी छोटू राम सेवा सदन, कटरा, जम्मू

Postal Registration No. CHD/0107/2021-2023

RNI No. CHABIL/2000/3469

मुद्रक प्रकाशन एवं सरंक्षक सम्पादक डा. एम. एस. मलिक ने जाट सभा, चंडीगढ़ के लिए एसोशियटिड प्रिन्टर्ज, चंडीगढ़, फोन : 0172–2650168 से मुद्रित करवा कर जाट भवन, 2–बी, मध्यमार्ग, सैक्टर 27–ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित किया।